

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत मेसर्स भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा ग्राम-केसरा, कुदारीडीह एवं सपनादर, पोस्ट-कमलेश्वरपुर, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में प्रस्तावित मैनपाट बाक्ससाईट माईन (माईनिंग लीज एरिया-639.169 हेक्टेयर) क्षमता-0.75 मिलियन टन/वर्ष से 2.25 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02/04/2017 को स्थान-केसरा पूर्व माध्यमिक शाला, अटल चौक के पास, मैनपाट, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत मेसर्स भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा ग्राम-केसरा, कुदारीडीह एवं सपनादर, पोस्ट-कमलेश्वरपुर, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में प्रस्तावित मैनपाट बाक्ससाईट माईन (माईनिंग लीज एरिया-639.169 हेक्टेयर) क्षमता-0.75 मिलियन टन/वर्ष से 2.25 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् श्री एस. एन. राम, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में दिनांक 02/04/2017 को स्थान-केसरा पूर्व माध्यमिक शाला, अटल चौक के पास, मैनपाट, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में प्रातः 10:00 बजे लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा ग्राम-केसरा, कुदारीडीह एवं सपनादर, पोस्ट-कमलेश्वरपुर, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में प्रस्तावित मैनपाट बाक्ससाईट माईन (माईनिंग लीज एरिया-639.169 हेक्टेयर) क्षमता-0.75 मिलियन टन/वर्ष से 2.25 मिलियन टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में दिनांक 07.02.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 22.02.2017 को उद्योग की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा के पत्र दिनांक 02.03.2017 के द्वारा उद्योग की लोकसुनवाई की तिथि दिनांक 02/04/2017, समय प्रातः 10:00 बजे, स्थान-केसरा पूर्व माध्यमिक शाला, अटल चौक के पास, मैनपाट, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में नियत की गई। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 03.03.2017 को राष्ट्रीय समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं स्थानीय समाचार पत्र अंबिकावाणी व छत्तीसगढ़ में 30 दिवस पूर्व लोकसुनवाई की सर्व संबंधितों को सूचना प्रकाशित कराई गयी। ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालिक सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां सीडी सहित अवलोकनार्थ कार्यालय कलेक्टर, जिला-सरगुजा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अंबिकापुर, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.),

सीतापुर, जिला-सरगुजा, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत-नर्मदापुर, बरिमा, कमलेश्वरपुर, रोपाखार, कुनिया, केसरा, कुदारीडीह, सरभंजा, सपनादर, बिसरपानी एवं कलजीवा (अ) मालतीपुर, तह.-मैनपाट, जिला-सरगुजा (छ.ग.), कार्यालय डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया। परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री अफरोज अली, ए.व्ही.पी. बालको द्वारा परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित माईन के संबंध में अपने सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी व्यक्त करने हेतु आग्रह किया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं :-

1. श्री जगपाल सिंह पैकरा, ग्राम कुदारीडीह- मैं कहना चाहता हूं कि बालको यहाँ रहे। बालको के आने से फायदा मिल रहा है। हमारे गांव के सभी ग्रामवासियों को रोजगार दिया जाय। उद्योग द्वारा जमीन को कृषि योग्य भूमि बनाकर वापस किया जाय।
2. श्री किशुन, ग्राम कुदारीडीह- खदान खुलना चाहिए।
3. मो. बरजन, ग्राम रोपाखार- 1993 से मैं काम कर रहा हूं, इसी से हमारी रोजी रोटी चल रही है, इसलिए बालको का समर्थन करता हूं।
4. श्री भुनेश्वर यादव, ग्राम केसरा- हमारी जमीन मे जो माईनिंग हो गई है, उसे प्लेन कर पेड पौधा लगाया जाये। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाय, बालको का समर्थन करता हूं।
5. श्री छोटेलाल यादव, ग्राम केसरा- मैं बालको में 15-16 साल से काम कर रहा हूं। मैनपाट का विकास किया गया है।
6. श्री विजय कुमार, ग्राम कुदारीडीह- मैं बालको का समर्थन करता हूं।
7. श्री दूधनाथ यादव, ग्राम केसरा- बालको का समर्थन करता हूं, लेकिन मेरी मांग भी है। यहाँ 100 बेड का हास्पिटल बालको दे, और इंग्लिश मीडियम स्कूल दे, जिसका जमीन खोदा है समतलीकरण कर वापस करे। पौधा बहुत लगाया गया है जो कटाव के कारण नष्ट हो गये हैं। पौधे की अच्छी देख-रेख करें। मैं समर्थन करता हूं।

8. श्री त्रिभुवन यादव, ग्राम केसरा— बालको में 30 साल हो गया है, बालको आना चाहिए। हम लोग अच्छे-अच्छे घर बना लिये हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, सबको सेची-सेटी चाहिए, समर्थन है।
9. श्री शेष कुमार यादव, ग्राम केसरा— बालको खुलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, बिजली, पानी की सुविधा मिले, हम समर्थन करते हैं।
10. श्री भगत राम, ग्राम कमलेश्वरपुर— मैं 1997 से काम कर रहा हूं। बालको का समर्थन करता हूं। मैं परिवार को अच्छे से पाल रहा हूं।
11. श्री हरीनाथ, ग्राम कुदारीडीह— सन् 2000 से इस माईनिंग में बालको से जुड़ा हूं। अच्छे से मेरी रोजी रोटी चल रहा है, लोगों को काम दिया जाय।
12. श्रीमती सकुंतला, ग्राम केसरा— 25 साल हो गया बालको में काम करते हुए, बालको ने रोजगार दिया है। मैं आज भी समर्थन करती हूं।
13. श्री राम प्रसाद, ग्राम वंदना— 1993 से खदान में काम कर रहा हूं बाल बच्चों को पाल रहा हूं खदान आना चाहिए।
14. श्री मनोज पैकरा, ग्राम कुदारीडीह— खदान खुलना चाहिए, और आना चाहिए।
15. श्री हिम्मत लाल तिर्की, ग्राम बरिमा— बालको का समर्थन करता हूं।
16. श्रीमती देवती, ग्राम केसरा— पांच साल से रह रहे हैं, काम मिलना चाहिए।
17. श्री सत्यनारायण, ग्राम कुदारीडीह— खदान खुलना चाहिए।
18. श्रीमती विमला विश्वकर्मा, ग्राम कुदारीडीह — बालको को समर्थन करती हूं बालको खुलना चाहिए।
19. श्री विष्णु, ग्राम कुदारीडीह— बालको खुलना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए।
20. श्रीमती अनीता यादव, ग्राम नर्मदापुर — बालको में 15 साल से काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। बालको ने 04 साल तक खदान बंद रहने के बाद भी काम दिया। सच्चे मन से समर्थन करती हूं।
21. श्री रामप्रकाश, ग्राम कुदारीडीह — बालको खदान खुलना चाहिए।
22. श्रीमती ललिता बाई, ग्राम बिजलहवा— 18 साल से काम कर रहे हैं। हमारा समर्थन है।
23. श्री संतोष कुमार यादव, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन कर रहा हूं।
24. श्रीमती कलावती, ग्राम कुदारीडीह— 18 साल से बालको से जुड़ी हूं इसी के जरिये परिवार को पाल पोष रही हूं। खदान चले।
25. श्री अमोस खलखो, ग्राम पथरई— 15 साल से काम कर रहे हैं। बालको सबको योग्यता अनुसार रोजगार दे। हमारा समर्थन है।
26. श्रीमती शारदा बाई, ग्राम उरंगा— मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं। बालको का समर्थन करती हूं।
27. श्री मुनेश्वर राम, ग्राम कुदारीडीह— 25 साल से काम कर रहे हैं पहले लेबर था अब मेट और ब्लाटर की ट्रेनिंग कर लिया हूं, धन्यवाद।
28. श्रीमती सालिन खलखो, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन है।
29. श्री रामाधार यादव, ग्राम कुदारीडीह— 22 साल से काम कर रहे हैं बालको कंपनी देश की शान है, समर्थन है।

30. श्री बीए खान, ग्राम कुदारीडीह— समर्थन है, बालको रोजगार दे।
31. श्रीमती मंजू मंहत, ग्राम उरंगा— समर्थन है।
32. श्री राजबली यादव, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन करता हूं।
33. श्रीमती मरिया दरती, ग्राम रोपाखार—मैं बालको खोलने का आदेश देती हूं। समर्थन करती हूं।
34. श्री देवनारायण, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन है।
35. श्रीमती शोमावती, ग्राम केसरा— खदान खुलनी चाहिए, समर्थन है।
36. श्री भोला प्रसाद, ग्राम कुदारीडीह— बालको सबको काम दे, विकास करे।
37. श्री सुदर्शन यादव, ग्राम कुदारीडीह— समर्थन है।
38. श्री समसुल हक, ग्राम रोपाखार— रोजगार बढ़े, समर्थन करता हूं।
39. श्री फारुख खान, ग्राम रोपाखार— बालको का घोर विरोध करता हूं। ब्लास्टिंग से दरार आ रही है। कुंआ, डेम सूख गया है इनकी स्कूल बंद है, 27000 मीट्रिक टन प्रतिदिन बाक्सआईट ढोने के लिये 800 गाडियां चलेगी, रोड खराब हो रही है। पर्यावरण विनाश की ओर है, प्रदूषण फैल रहा है, रोड पक्का करें।
40. श्री गोकुल यादव, ग्राम केसरा — सहमत है।
41. श्रीमती मरियम, ग्राम कुदारीडीह — खदान खुलना चाहिए, बालको से हम लोगो को सहारा है।
42. श्री कन्हैया लाल यादव, ग्राम कुदारीडीह— खदान खुलना चाहिए।
43. श्री अनिल कुमार, ग्राम सपनादर— समर्थन करता हूं।
44. श्री सूर्यकांत, ग्राम सपनादर— बालको को समर्थन है।
45. श्री महेन्द्र यादव, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन है।
46. श्री चमन, ग्राम सपनादर— समर्थन है। हम लोग बालको से जुड़े हैं, पैमेंट चार महीने का मिलना चाहिए।
47. श्री अभिषेक यादव, ग्राम केसरा— बालको खुलना चाहिए।
48. श्री राहुल यादव, ग्राम केसरा— बालको कंपनी मैनपाट का विकास किया है समर्थन करता हूं।
49. श्री संजय कुमार सिंह, ग्राम कुदारीडीह — 20 साल से काम कर रहे हैं, बालको का समर्थन करता हूँ।
50. श्री चंद्रभान कुर्रे, ग्राम विजलहवा— बेरोजगार बैठा हूं बालको खुलना चाहिए।
51. श्री विजेन्द्र सिंह, ग्राम नर्मदापुर— ब्लास्ट पास होने के बाद बालको में काम कर रहा हूं, बालको का समर्थन करता हूं।
52. श्री अवधू यादव, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन है।
53. श्री विनोद कुमार यादव, ग्राम केसरा— पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। बालको का काम अच्छा चले, जिनकी जमीन गई है उनको स्थाई नौकरी तथा स्थाई वेतन दे।
54. श्री देव कुमार, ग्राम उरंगा— समर्थन है।
55. श्री रामप्रकाश यादव, ग्राम सपनादर— 2042 तक सबको रोजगार दिया जाये, नदी—नाला सूख गया है, पानी की सुविधा दिया जाये। मेरा समर्थन है।

56. श्री उदय नारायण यादव, ग्राम सनहदर— बालको से पैसा रुपया भरपूर मिला है। एक कमी है कि अंचल में जड़ी-बूटी है। अस्पताल से आयुर्वेदिक दवाई मिलना चाहिए।
57. श्रीमती भगवती, ग्राम बरिमा— बालको का समर्थन है।
58. श्रीमती रंभा गुप्ता, ग्राम नर्मदापुर— बालको का समर्थन है।
59. श्री रामकुमार, ग्राम बरिमा— काम मिले, समर्थन है।
60. श्री जितेन्द्र यादव, ग्राम केसरा— समर्थन है, काम मिलना चाहिए।
61. श्रीमती निर्मला सोनी, ग्राम नर्मदापुर पटेलपारा, आंगन बाड़ी कार्यकर्ता— बालको खुलने से 99 प्रतिशत खुश रहते हैं। खदान नहीं चलने से निराश होते हैं सब चाहते हैं कि यहां दवा हो, आई कैंप लगने से फायदा हुआ है। सभी बालको कर्मचारी से अनुरोध है कि सभी का कुछ-कुछ भला करे और सभी को काम दिया जाय, समर्थन करती हूं।
62. श्रीमती शांति महंत, ग्राम बरिमा— समर्थन है।
63. श्री अनिल दास, ग्राम बरिमा— हम बेरोजगार हैं रोजगार मिले, बालको का समर्थन है।
64. श्रीमती संतरा बाई, ग्राम बरिमा— बालको खुले, समर्थन है।
65. श्री धरमपाल, ग्राम नर्मदापुर— जहां खदान है वहां हरा भरा है। बालको का समर्थन करता हूं।
66. श्रीमती निहारो बाई, ग्राम कुदारीडीह— मैनपाट खदान नहीं चाहिए।
67. श्री राजेन्द्र दास, ग्राम बरिमा— काम मिलना चाहिए, समर्थन करता हूं।
68. श्रीमती नावती, ग्राम केसरा— ब्लास्टिंग से पानी सूख रहा है। खदान नहीं चाहिए।
69. श्रीमती भिखनी, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
70. श्री सूरजनाथ, ग्राम बरिमा— समर्थन है।
71. श्री सोनू यादव, ग्राम कुदारीडीह — समर्थन है।
72. श्री चंद्रिका, ग्राम कुदारीडीह— समर्थन।
73. श्री ठाकुर प्रसाद यादव, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन है।
74. श्री शिवपूजन यादव, ग्राम केसरा— खदान खुलना चाहिए, जिनका जमीन गया है उनको नौकरी मिलना चाहिए, समर्थन करता हूं।
75. श्री सचिन्द्र यादव, ग्राम केसरा— बालको रेग्युलर नौकरी दे।
76. श्रीमती सुभद्री, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए। नौकरी नहीं चाहिए।
77. श्री बबलू, ग्राम कुदारीडीह— 1991 में खदान खुल गई है, घर घर बिजली नहीं दिया।
78. श्रीमती नानकुंवर, ग्राम कुदारीडीह— पानी की व्यवस्था नहीं है। खदान नहीं चाहिए।
79. श्री बोधीराम, ग्राम कुदारीडीह— हम लोग जमीन दिये हैं, ड्यूटी भी बालको में करते हैं। हम खदान नहीं छोड़ेंगे।
80. श्री धनसाय, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए। खदान बंद होना चाहिए।
81. श्रीमती शांति, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।

82. श्री नरेश तिवारी, ग्राम केसरा— बालको का समर्थन है। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले।
83. श्रीमती सुनमती, ग्राम कुदारीडीह— खदान बंद होना चाहिए।
84. श्रीमती बनई, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, मेरे बाल बच्चे कहां जायेंगे ?
85. श्रीमती संझई बाई, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
86. श्रीमती रतनी बाई, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
87. श्री लोकपूजन यादव, ग्राम केसरा— खदान का समर्थन है, स्थाई नौकरी चाहिए।
88. श्री वशिष्ठ यादव, ग्राम केसरा— खदान खुलना चाहिए।
89. श्रीमती गुरवारी, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
90. श्री विनय यादव, ग्राम केसरा— बालको जमीन वालों को चार हजार रुपये का नौकरी दिया है, इसलिए समर्थन नहीं करूंगा। जमीन समतलीकरण कर देने को बोला था वो नहीं किया है। बालको के फंड से काम नहीं होता है बालको अपना काम पूरा नहीं करता है। 1993 से काम नहीं दिया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दे, और जमीन समतल करके दे।
91. श्रीमती नीतू श्रीवास्तव, ग्राम नर्मदापुर— बालको का समर्थन करती हूं। ममता योजना के तहत कार्य किया गया है तथा प्रतीक्षालय बनवाया है। बालको द्वारा सभी बच्चों को अंडा केला दिया जा रहा है ड्रेस दिया गया। यहाँ तीनों टाईम चूल्हे जलते थे, लेकिन बालको बंद हो जाने से परेशानी हो रही है। बालको सभी के विचारों का समाधान करे।
92. श्री सहदेव यादव, ग्राम केसरा— खदान खुले तो सभी को रोजगार मिले। मांग है कि हास्पिटल, स्कूल, पानी आदि की सुविधा दी जाये।
93. श्री शिवराम, ग्राम पथरई— समर्थन कर रहा हूं, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये।
94. श्री शिवराज यादव, ग्राम केसरा— समर्थन है, सब जमीन वालों को स्थाई नौकरी दें।
95. श्रीमती देवकुमारी चौधरी, ग्राम नर्मदापुर— बालको के आने से गरीब जनता को रोजगार मिलता है। बालको का आना हमारे लिए अच्छा है, समर्थन है।
96. श्री जयनाथ, ग्राम उरंगा— खदान जल्दी खुलना चाहिए।
97. श्रीमती नैना नामदेव, ग्राम नर्मदापुर— समर्थन करती हूं, खदान खुलना चाहिए।
98. श्री राम अनुज यादव, ग्राम केसरा— जगह जमीन मिल जाय, खदान बंद हो जाये।
99. श्री राम निवास, ग्राम केसरा— खदान रहना चाहिए चार साल खदान बंद थी तो यहां लोगों को परेशानी थी, समर्थन है।
100. श्रीमती किरन, ग्राम नर्मदापुर— समर्थन करती हूं।
101. श्री गीता प्रसाद, ग्राम केसरा— 20 साल से बालको से जुड़े हैं, हम आसानी से जी खा रहे हैं, समर्थन है।
102. श्रीमती आशा सिंह, ग्राम नर्मदापुर— समर्थन है।

103. श्री रामचन्द्र यादव, ग्राम केसरा— समर्थन है, बीस साल का खदान, तीन साल में न खोद ले जाये।
104. श्रीमती सावित्री दास, ग्राम बरिमा— समर्थन है।
105. श्री भुवनलाल यादव, ग्राम केसरा— बालको का समर्थन है। खदान खुलना चाहिए।
106. श्रीमती देवकी चौहान, ग्राम नर्मदापुर— समर्थन है।
107. श्रीमती रूनिया बाई, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
108. श्री मोहर साय, ग्राम उरंगा— समर्थन है।
109. श्रीमती सुमित्रा, ग्राम केसरा— खदान की जरूरत नहीं है। खदान बंद होनी चाहिए।
110. श्रीमती फूलकुमारी, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
111. श्री राम, ग्राम पथरई— खदान नहीं चाहिए।
112. श्री रीझन, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
113. श्रीमती चेरी, ग्राम केसरा— बंद होना चाहिए।
114. श्री विनोद, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
115. श्रीमती मुन्नी बाई, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
116. श्रीमती किरण, ग्राम नर्मदापुर— बालको का समर्थन है।
117. श्री रजनीश कुमार, ग्राम केसरा— बालको किसी को नौकरी नहीं दिया है, लोग फालतू घूमते हैं, स्थाई नौकरी चाहिए।
118. श्री मुन्ना, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
119. श्री मनोज नाग, ग्राम केसरा— मैनपाट आदिवासियों का क्षेत्र है, आदिवासियों को सुना जाये। खदान खुलने से परेशानी है। लोगों को बी.पी. एवं हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। पानी के स्तर में गिरावट हो रही है। विरोध करता हूं।
120. श्रीमती संदर्ष बाई, ग्राम केसरा— बालको ने जमीन नाश कर दी है। बच्चे तकलीफ में हैं, खदान नहीं चाहिए।
121. श्रीमती रमा बाई, ग्राम केसरा— नहीं चाहिए।
122. श्री साधूराम, ग्राम केसरा— नहीं चाहिए।
123. श्री राम भरोस, ग्राम केसरा— चार एकड़ जमीन सूख गया। बालको भागे।
124. श्रीमती मंगली, ग्राम केसरा— खदान बंद होना चाहिए।
125. श्रीमती रश्मि बाई, ग्राम केसरा— खदान बंद होना चाहिए।
126. श्री बिसाखू, ग्राम केसरा— बंद होना चाहिए।
127. श्रीमती तिरस बाई, ग्राम कुदारीडीह— पैर टूट गया, कोई व्यवस्था नहीं किया है विरोध करते हैं।
128. श्री रामदेव यादव, ग्राम सपनादर— घर से 20 कदम में खदान है, भैंस गिरकर मर गया है बालको सहायता नहीं करता है। ब्लास्टिंग से बोरिंग बिगड़ गया है। हम लोगों को जगह दिया जाये, हम लोग गरदा से व्याकुल हैं।
129. श्रीमती कैलासो बाई, ग्राम सपनादर— खदान हटे।
130. श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, ग्राम कुदारीडीह— यहां बालको क्षमता विस्तार के तहत अनुमति ले रही है। बालको कंपनी द्वारा जो कार्य कुशल इंजीनियर द्वारा

कराया जा रहा है जिससे पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो रहा है, बालको का समर्थन है।

131. श्रीमती समारी, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
132. श्रीमती देवनिका, ग्राम कुदारीडीह — 20 साल की लीज पर जबरदस्ती बालको जमीन लेना चाहता है। हम जमीन नहीं देना चाहते हैं और न ही खोदने देंगे।
133. श्रीमती फुलेश्वरी, ग्राम कुदारीडीह — खदान नहीं चाहिए।
134. श्रीमती विफैया, ग्राम कुदारीडीह — खदान नहीं चाहिए।
135. श्रीमती कलावती, ग्राम कुदारीडीह —खदान नहीं चाहिए।
136. श्री बुधराम दास, ग्राम बरिमा— समर्थन है।
137. श्रीमती फुलेश्वरी, ग्राम कुदारीडीह —खदान नहीं चाहिए।
138. श्रीमती शांति, ग्राम कुदारीडीह —खदान नहीं चाहिए।
139. श्रीमती कुलेश्वरी, ग्राम कुदारीडीह —खदान नहीं चाहिए।
140. श्रीमती संझई, ग्राम कुदारीडीह —खदान नहीं चाहिए।
141. श्रीमती प्यासो, ग्राम कुदारीडीह —खदान नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए।
142. श्रीमती उर्मिला, ग्राम कुदारीडीह —खदान नहीं चाहिए।
143. श्रीमती विमला, ग्राम कुदारीडीह —खदान नहीं चाहिए।
144. श्री राजेश्वर यादव, ग्राम केसरा— खदान चले लेकिन सबको रोजगार मिले।
145. श्री दीनानाथ, ग्राम केसरा— समर्थन है। जो मांग है, पूरी करने की कृपा करें।
146. कुमारी सुरुचि, ग्राम नर्मदापुर— समर्थन है।
147. श्रीमती सुखनी, ग्राम कुदारीडीह— नहीं चाहिए।
148. श्रीमती सुमित्रा, ग्राम कुदारीडीह —खदान नहीं चाहिए।
149. श्री मटरू, ग्राम केसरा— खदान बंद हो जाने वाला है।
150. श्री अवध राम, ग्राम केसरा—खदान नहीं चाहिए।
151. श्री सुरेश यादव, ग्राम केसरा— सर्पोंट करता हूं। अपना प्रोडक्शन 7 से 22 लाख कर रहा है। टेंडर 22 की जगह 7 साल में कर देगा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ना चाहिए।
152. श्रीमती सोहद्रा बाई, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
153. श्रीमती अमती, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
154. श्रीमती फुलेश्वरी, ग्राम केसरा— जगह जमीन चला गया, काम नहीं मिला, नहीं चाहती हूं।
155. श्री धनेश्वर यादव, ग्राम केसरा— खदान रहनी चाहिए।
156. श्रीमती सकुंतला यादव, ग्राम कुदारीडीह— 1994 में लीज दी गई, बालको को बंद कराना चाहते हैं। कुछ लाभ नहीं दिया, खदान नहीं चाहिए। नदी नाले सब सूख गये, पेड़ पौधे सब काट दिया, पीने के लिये पानी भी नहीं मिल रहा है। मैनापाट के बड़े-बड़े नेता बालको से मिल कर हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। बालको ने अत्याचार किया है, रात में दो ढाई बजे मशीन चलाते हैं, बालको बंद करे।
157. श्री देवनाथ दास, ग्राम बरिमा— समर्थन करते हैं।

158. श्रीमती कविता माझी, कुदारीडीह— खदान नहीं चाहती हूं, पर्यावरण कम हो गया पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बच्चे शिक्षित भी नहीं हो रहे हैं। आधी रात को मशीन चलाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि माझी आदिवासी लोगों को परेशान न करें।
159. श्री राजू, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
160. श्रीमती सुनियारो, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
161. श्री कुंवर प्रधान, ग्राम केसरा— काम को बंद करें।
162. श्रीमती बिलासो, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
163. श्री गोपाल, ग्राम केसरा— नहीं चाहिए, प्रदूषण फैल रहा है, जंगल काटा जा रहा है।
164. श्रीमती संघई, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
165. श्री कृष्णनंदन सिंह, ग्राम नर्मदापुर— बाक्सईट माईन की पर्यावरणीय स्वीकृति देने से पूर्व शासन द्वारा मेरे पूर्व आपत्तियों का क्या निराकरण किया गया, जो आज पर्यन्त लंबित हैं। आपत्तिकर्ता को यह बताया जाय कि आपत्ति पर क्या कार्यवाही की गई। यह कि आपत्तिकर्ता ने सी.एम. जनदर्शन दिनांक 29.03.2017 में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट से प्रकाशित खबर को आधार बनाकर अपनी शिकायत प्रस्तुत की है। आपत्तिकर्ता सहित मैनपाट वासियों को प्रदूषण रहित जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। शासन द्वारा मैनपाट को शिमला की संज्ञा देना छलावा प्रतीत होता है। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण के नाम से खर्च किया जा रहा है, दूसरी ओर बाक्सईट उत्खनन की अंधाधुंध स्वीकृति दी जा रही है, ऐसी स्थिति के मददे नजर विरोध है।
166. श्रीमती संतोषी, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
167. श्री चंदूराम, ग्राम नर्मदापुर— यहां सभी लोग कह रहे हैं कि खदान नहीं चाहिए। बालको के आने से गरीबों का गुजर बसर हो रहा है। अपना दिल जो कहे वही करें। बालको ने रोड के बगल में प्रतीक्षालय बनाये हैं, ऐसी कोई योजना पहले नहीं थी। देश विदेश के लोग इस मैनपाट पर कदम रखेंगे तभी विकास होगा। मैं समर्थन करता हूं।
168. श्रीमती मनियारो, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
169. श्रीमती पतंग, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
170. श्रीमती सुखली, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
171. श्री बालेश्वर, ग्राम केसरा— खदान बंद होना चाहिए।
172. श्रीमती जुगनी, ग्राम केसरा— गाय छेरी को तकलीफ होता है।
173. श्री अनिल किसान, ग्राम केसरा— हमें खदान नहीं चाहिए।
174. श्रीमती गुलबारी, ग्राम केसरा— हमें खदान नहीं चाहिए।
175. श्री राजेन्द्र, ग्राम केसरा— हमें खदान नहीं चाहिए। पानी का स्रोत बंद हो रहा है।
176. श्रीमती सनियारो, ग्राम केसरा— पानी नीचे उतर जाता है, खदान नहीं चाहिए।
177. श्री संतू, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
178. श्रीमती बिहानू, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।

179. श्रीमती बुधिया, ग्राम केसरा—खदान नहीं चाहिए।
180. श्री मोहन साय, ग्राम केसरा—हम लोग लाल झंडा लेकर गये, काम नहीं मिला।
181. श्री द्वारिका यादव, ग्राम कुदारीडीह—विरोध करता हूं।
182. श्रीमती उर्मिला, ग्राम पखनापारा— खदान नहीं चाहिए।
183. श्रीमती जगरानी, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
184. श्रीमती शांति बाई, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
185. श्रीमती निहारो, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
186. श्री जगन्नाथ, ग्राम केसरा— खदान बंद होना चाहिए।
187. श्री सुखसागर, ग्राम केसरा— बालको का समर्थन है, बालको ने काम किया है।
188. श्री राजू यादव, ग्राम केसरा— खदान के लिये कंपनी ने एक-एक परिवार की 5 से 50 एकड़ जमीन ली है। एक भी स्थाई नौकरी आज तक नहीं दी गई है। पानी का स्तर नीचे जा रहा है।
189. श्रीमती सविता बाई, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
190. श्रीमती बसंती, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
191. श्रीमती मुनियारो, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
192. श्रीमती रश्मि, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए। खदान बंद करें।
193. श्रीमती फुलारो, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
194. श्रीमती रुझनी बाई, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
195. श्री बल्लू, ग्राम केसरा— पानी का स्तर नीचे जा रहा है, बालको नहीं चाहिए।
196. श्रीमती बुधनी, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
197. श्रीमती सोनमति, ग्राम सपनादर—खदान नहीं चाहिए।
198. श्रीमती सुकमेद, ग्राम कुआंकोंडा— खदान नहीं चाहिए।
199. श्रीमती घुरबारी, ग्राम उरंगा— खदान नहीं चाहिए।
200. श्री यातराम, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए।
201. श्रीमती सुखनी बाई, ग्राम सरभंजा— जमीन नहीं देंगे।
202. श्रीमती संझई बाई, ग्राम नोरेना— खदान नहीं चाहिए।
203. श्री झखीराम, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
204. श्री लाल साय, ग्राम केसरा—जमीन खो दिया है, खदान नहीं देंगे।
205. श्रीमती देवमुनी, ग्राम सरभंजा— खदान नहीं खोलने देंगे।
206. श्रीमती नामती, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
207. श्री अनूप साय, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
208. श्री लूसा, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
209. श्रीमती बुधनी, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए। बच्चे कहाँ जायेंगे।
210. श्री जितेन्द्र यादव, ग्राम केसरा— बालको का पूर्ण समर्थन करता हूं। बालको से काम मिला है। बेरोजगारी खतम हुई है, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बाहरी लोग नेता आये हैं। क्या वे मुझे नौकरी देंगे ? जगह जगह पौधे लगाये गये हैं। समाधान भी किया जा रहा है। नर्सरी बागवान लगाये हैं। बेरोजगारों को रोजगार दे बालको का खुलना जरूरी है।
211. श्रीमती मुरली बाई, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए।

212. श्री कृत लाल यादव, ग्राम केसरा— खदान खुलना चाहिए।
213. श्रीमती बिंदेश्वरी, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
214. श्री अंकित गुप्ता, ग्राम सरमंजा— मैं बालको से जुड़ा नहीं हूँ। पूरे दिल से समर्थन करता हूँ। मैं वार्ड प्रभारी भी हूँ, सभी लोगों को खाने के लाले पड़ गये थे। तहेदिल से समर्थन करता हूँ।
215. श्रीमती सरिता, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
216. श्रीमती सोखी, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए।
217. श्री राजकुमार, ग्राम बरिमा— पानी की तकलीफ है। पानी चाहिए।
218. श्रीमती अनीता, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
219. श्री सुखन, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
220. श्रीमती लक्ष्मी बाई, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
221. श्रीमती मंगनी बाई, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
222. श्री रजनीश महंत, ग्राम रोपाखार— समर्थन है।
223. श्री बलराम यादव, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, मैनपाट— मैनपाट का जल, जमीन, जंगल एवं हवा पर्यटन स्थल है। बालको का सपोर्ट करते हैं, मैनपाट का हवा आज विपरीत है पब्लिक विरोध में है। आज बालको के पक्ष में नहीं हूँ। बालको द्वारा कुछ नहीं किया गया है। किसानों की भूमि का समतलीकरण करके आज तक नहीं दिया गया। मैनपाट में मशीनीकरण बंद हो। आज लोग बेरोजगार हैं, बालको ने पब्लिक के हित में काम नहीं किया है इसलिए विरोध है। कुदारीडीह, सपनादर में बालको सुधार करे। यदि पब्लिक का नहीं सुना जायेगा तो संघर्ष जारी रहेगा।
224. श्री देवनारायण यादव, ग्राम सपनादर— बालको रहना चाहिए। बालको जमीन का मुआवजा 20 लाख प्रति एकड़ दे। स्थाई नौकरी दिया जाये।
225. श्री राजेश गुप्ता अधिवक्ता, सीतापुर— आज की जनसुनवाई में लिखित में आपत्ति दी गई है पढ़कर भी सुना रहा हूँ। ई.आई.ए. में रेण नदी को नाला बताया गया है। यह हाथियों का गलियारा है, घुनघुटा नदी कुदारीडीह का उद्गम स्थल है। उसे सुखाना चाहते हैं। आलू, सरसों एवं भाफर मैनपाट की मुख्य फसल है। सीतापुर तक मैनपाट का ब्लास्ट सुनाई पड़ता है। छत्तीसगढ़ राज्य के पुर्नवास नियम का घोर उल्लंघन किया जा रहा है एवं परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिये क्या किया जा रहा है ? बालको की खुदाई पर कोई सहमत नहीं है। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार आज की सुनवाई स्थगित की जाय एवं ई.आई.ए. विशेषज्ञों को वापस किया जाये।
226. श्रीमती प्रीती श्रीवास्तव, ग्राम कुदारीडीह— बालको खदान खुलना चाहिए। बालको के द्वारा आंगनबाड़ी में बच्चों को भोजन दिया जा रहा है। बालको द्वारा काम किया जा रहा है। हमारा समर्थन है।
227. श्रीमती संयोगिता श्रीवास्तव, ग्राम कमलेश्वरपुर— बालको का समर्थन करती हूँ। बालको यहां रहेगा तो रोजगार मिलेगा।
228. श्रीमती तृप्ति विश्वास, ग्राम रोपाखार— बालको के काम से मैं खुश हूँ। महिला स्व सहायता समूह के अन्तर्गत सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मजदूरों को

- फायदा मिला है। समर्थन करती हूँ। बालको को भगाने से फायदा नहीं होगा । बालको को रहना चाहिए।
229. श्री नागेश्वर यादव, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष, मैनपाट— मैनपाट के आदिवासी भाई जाग चुके हैं। यहां का आलू और टाउ विदेश में जाता है। मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला है। आप संघर्ष करें।
230. श्रीमती सुखारो, ग्राम बरिमा— जमीन को खराब कर दिया है। खदान नहीं खोलने देना चाहते हैं।
231. श्रीमती दुई, ग्राम बरिमा— यहां धान नहीं होता है, खदान नहीं चाहिए।
232. श्री टोप्पो, बी.डी.सी. मैनपाट— मैनपाट को सरगुजा का प्रथम स्थान माना जाता है। सरगुजा जिले में मैनपाट को सोने की चिड़िया कहा जाता है बालको चुरा कर ले जा रहा है। बाक्सईट खदान बरकरार रहे। मैनपाट के जमीन का उचित मुआवजा दिया जाये एवं स्थाई नौकरी दी जाये, तो साथ रहेंगे।
233. श्रीमती फुलवन्ती बाग, ग्राम बरिमा— विरोध करना चाहिए, पानी स्त्रोत कम हो रहा है खदान नहीं चाहिए। हमको नौकरी नहीं मिला है। हमारा जमीन जंगल जा रहा है।
234. कुमारी प्रमिला, ग्राम बरिमा— विरोध है।
235. श्री राजपाल यादव, ग्राम केसरा— खदान बंद होना चाहिए।
236. श्री जंगसाय, ग्राम केसरा— खदान बंद होना चाहिए।
237. श्रीमती जयन्ती, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
238. श्री गणेश कुमार यादव, पूर्व सरपंच, ग्राम सपनादर— बालको के पास खदान रहे, खदान नहीं होगी तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जायेंगे, समर्थन है।
239. श्रीमती श्याम बाई लकड़ा, ग्राम कुदारीडीह— खदान बंद कराना चाहते हैं। गांव वाले बोलते हैं कि नहीं खुलना चाहिए। खदान के भरोसे बैठे हैं, खदान खुलना चाहिए।
240. श्रीमती बसन्ती, ग्राम वंदना— पानी चाहिए ।
241. श्री अशोक चतुर्वेदी— समर्थन है।
242. श्रीमती रजनी, ग्राम वंदना— खदान नहीं चाहिए।
243. श्री गोपीराम, ग्राम कुदारीडीह— खदान बंद होना चाहिए।
244. श्रीमती धनकुंवर, ग्राम बड़कापारा— नदी नाला सब पट गई है। जमीन का नाश कर देते हैं, हम खदान नहीं देंगे।
245. श्री दीपक दास, ग्राम कमलेश्वरपुर— बालको का समर्थन है।
246. श्रीमती शांति, ग्राम बरडांड— पानी चाहिए, खदान नहीं चाहिए।
247. श्रीमती प्रमिला, ग्राम बरडांड— पानी चाहिए, खदान नहीं चाहिए।
248. श्रीमती इतवारी, ग्राम बरडांड— खदान नहीं चाहिए।
249. श्री कालू, ग्राम केसरा— 20 साल पहले पानी ऊपर था, अब पानी 30 फीट नीचे चला गया है, विरोध है।
250. श्रीमती फुलमती, ग्राम बरडांड — खदान नहीं चाहिए।
251. श्री राजकुमार, ग्राम केसरा— खदान हटाओ, मैनपाट बचाओ ।
252. श्रीमती रकीला, ग्राम बरडांड— विरोध है।

253. श्री चंद्र दास, ग्राम उरंगा — मै बालको का समर्थन करता हूं।
254. श्री बालकुंवर, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए।
255. श्री मुन्ना टोप्पो, ग्राम केसरा — यह जनसुनवाई अधिनियम 244 की धारा के तहत गैर कानूनी है। संविधान के अनुसार गलत है। बालको का खनन चल रहा है यदि ग्रामसभा सहमति नहीं दे रही है तो यहां खदान नहीं खुलेगी।
256. श्रीमती फुलो बाई, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
257. श्री भिसरिया राम मांझी, जिलाध्यक्ष, मांझी समाज— लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्रामसभा है। अनुसूचित क्षेत्र में माईन लीज का रिन्यूल नहीं हो सकता है। ग्रामसभा स्वयं संविधान लागू करता है। जल जंगल हमारा है। जबसे बाक्साईट खदान शुरू हुई पानी का स्तर कम हो गया है। आदिवासी 70 साल जीते थे अब 60 साल जीते हैं। बालको से जिसका लेन देन हुई है, वही समर्थन कर रहे हैं। खदान को बंद करना है तो बंद करना है। केसरा में घुनघुटा नदी का उद्गम स्थल खत्म हो जायेगा। पानी खत्म हो गया है। आप लोगों को पैसा चाहिए की पानी चाहिए ? मैनपाट बचाओ बालको हटाओ।
258. श्रीमती सुंदरी बाई, ग्राम कुदारीडीह— विरोध है।
259. श्रीमती सुनीता, ग्राम कुदारीडीह— विरोध है।
260. श्री समारुराम, ग्राम केसरा— हमारा 10 एकड़ जमीन चला गया है हमको कोई सुविधा नहीं दिया है नदी का पानी सूख गया है, खदान नहीं चाहिए।
261. श्रीमती सोनी बाई, ग्राम कमलेश्वरपुर— बालको कुछ काम नहीं दे रही है।
262. श्री नोहर साय, ग्राम केसरा— हवा के साथ धूल आता है। विरोध है।
263. श्रीमती मजनो, ग्राम केसरा— बोरिंग बिगड जाता है बालको हट जाये।
264. श्री लोक नाथ, ग्राम कुदारीडीह— रात दिन पहरा करवा रहें हैं। जीना हराम हो गया है। खदान नहीं चाहिए।
265. कु सुनैना राज सोनवानी, ग्राम नवापारा — समर्थन है।
266. कु गुंजा भारती, ग्राम नवापारा — समर्थन है।
267. कु अंजु मंहत, रोपाखार— समर्थन है।
268. श्री कपिल देव यादव, ग्राम रोपाखार— समर्थन है।
269. कु जमुनी यादव, कमलेश्वरपुर — समर्थन है।
270. श्री नंदलाल, ग्राम कुदारीडीह— खदान बंद हो।
271. श्रीमती दिली बाई, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
272. श्री बलराम यादव, ग्राम केसरा — विरोध है।
273. श्रीमती जरहा बाई, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
274. श्री धनसाय, ग्राम कुदारीडीह— खदान बंद हो।
275. श्रीमती निपसाय, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
276. श्री रामसाय, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
277. श्री धनेश्वर, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
278. श्रीराम फन्ना, ग्राम केसरा—खदान नहीं चाहिए।
279. श्रीमती फूलकुंवर, ग्राम केसरा—खदान नहीं चाहिए।
280. श्री जयनाथ, ग्राम कुदारीडीह—खदान नहीं चाहिए।

281. श्री काशी, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
282. श्री करन, ग्राम कुदारीडीह— विरोध है।
283. श्रीमती रिता यादव, ग्राम नर्मदापुर— पानी नहीं है विरोध है।
284. श्री मिथिलेश, ग्राम कुदारीडीह— विरोध है।
285. श्रीमती समारी, ग्राम पटेलपारा नर्मदापुर— पानी नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं।
286. श्री मनोज डोहरा, ग्राम केसरा— खदान बंद हो जाये। पानी नीचे चला जा रहा है।
287. श्रीमती बुधनी बाई, ग्राम केसरा— पानी नहीं मिल रहा है, विरोध है।
288. श्री बगेश्वर, ग्राम कुदारीडीह— विरोध है।
289. श्री राजू, ग्राम केसरा— विरोध करते हैं।
290. श्रीमती कमला, ग्राम केसरा— खदान नहीं खुलना चाहिए।
291. श्री फिरतू, ग्राम केसरा— खदान नहीं खुलना चाहिए।
292. श्रीमती मुन्नी बाई, ग्राम केसरा— खदान नहीं खुलना चाहिए।
293. श्री लक्ष्मी चौहान, एन.जी.ओ., कोरबा— यह जन सुनवाई ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के अनुसार हो रही है। जिसके प्रावधान अनुसार खदान के खुलने से जमीन, मिट्टी और पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, का आंकलन किया जाता है। इस पब्लिक हेयरिंग में जिसे जो बात रखनी है, रखें उसे प्रक्रिया अनुसार एम.ओ.ई.एफ. को भेज दिया जाता है जहां से गुण दोष के आधार पर क्लियरेंस होता है। यहां लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है करें लेकिन टी.ओ.आर. में ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार सोशल इंपैक्ट के अच्छे प्रावधान हैं जिसमें क्लियरेंस के पहले सभी बिंदुओं पर विचार किया जाता है। नये भूमि अधिग्रहण कानून में रोजगार आदि के बेहतर प्रावधान बनाये गये हैं।
294. श्रीमती सुशीला, ग्राम पखरीपारा — खदान का विरोध है।
295. श्री आलोक शुक्ला, संयोजक, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन— एक तरफ शासन मैनपाट महोत्सव का आयोजन करता है, तो दूसरी तरफ मैनपाट को खत्म करने के लिये जनसुनवाई करवा रहा है। शासन का यह दो रवैया है। वो मैनपाट को बचाना चाहते हैं या उजाड़ना चाहते हैं। ईआईए रिपोर्ट क्या हिंदी में उपलब्ध कराई गई है ? कितने लोगों ने उसका अध्ययन किया है ? पर्यावरण आंकलन रिपोर्ट का जब अध्ययन नहीं किया गया है तो जनसुनवाई का कोई औचित्य ही नहीं है। 1993 से यह खदान चल रही है इसके बावजूद मैनपाट के लोग पलायन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बालको द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बाक्ससाइट खदान में भूमिगत जल संचयन एवं रिचार्ज की बड़ी भूमिका है। यहां बाक्ससाइट खनन से जल संकट हुआ है। मैनपाट में यदि तीन गुना ज्यादा बाक्ससाइट निकलेगा तो क्या मैनपाट के अंदर पानी बचेगा। मैनपाट कहीं गंभीर सूखे की चपेट में होगा। ईआईए रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाया गया है। ईआईए को कॉपी पेस्ट के रूप में बनाया गया है। ईआईए में घुनघुटा नदी को नाला बताया गया है, जब कैचमेंट एरिया में खुदाई होगी तो क्या घुनघुटा नदी पर कोई असर नहीं होगा ? ईआईए

रिपोर्ट तथ्यहीन एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। ईआईए नोटिफिकेशन के प्रावधानों के अनुसार यदि ईआईए रिपोर्ट में तथ्यहीन व भ्रामक जानकारी दी गई है तो पैनल से अनुरोध है कि जनसुनवाई को रद्द करें। हाथी का मैनपाट क्षेत्र में गंभीर मुद्दा है। पूरे ईआईए रिपोर्ट में हाथियों की उपस्थिति नहीं दर्शाई गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि हाथी की उपस्थिति दिखाने से संभवतः क्लियरेंस की प्रक्रिया रुक जायेगी। बालको को 0.40 मिलियन की स्वीकृति मिली है उसमें मंत्रालय द्वारा जो कंडीशन दी गई थी, उसका पालन बालको के द्वारा किया जाना था। क्लियरेंस में शर्त थी कि खदान की सीमाओं में 50 मीटर की चौड़ाई में वृक्षारोपण किया जाना था, जो नहीं हुआ है। यहां के भूमिहीन और चरवाहे सीजनल खेती व मवेशियों के आधार पर जीवन यापन करते हैं। क्लियरेंस में भूमि का अध्ययन करने की कंडीशन दी गई थी किंतु बालको द्वारा अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। बालको द्वारा किसी भी कंडीशन का कंप्लायंस नहीं किया गया है। हम यहां पर भी मांग कर रहे कि मैनपाट के क्षेत्र का बालको अध्ययन करे। उनके द्वारा यदि 2.25 मिलियन टन बाक्ससाइट का उत्खनन किया जायेगा तो मैनपाट के असिस्तत्व को बचाना मुश्किल होगा। यहां के पर्यावरण को देखते हुए इस जनसुनवाई को रद्द किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि पहले भारत सरकार की कमेटी ईएसी यहां आकर क्षेत्र का अध्ययन करे तत्पश्चात् ही क्लियरेंस के संबंध में अंतिम निर्णय ले।

296. श्रीमती ऊषा, ग्राम पखरीपारा— नाला का पानी सूख जा रहा है। खदान नहीं चाहिए।
297. श्री प्रभात कुमार खलको, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सरगुजा —जिसमें मैनपाट का हित होगा वही काम हम करेंगे। जो बातें आ रही हैं कहीं न कहीं हमने चूक किया है। पानी का स्तर गिर रहा है उस पर चिंता करनी है। जो मांग जनता ने रखी है उसको पूरा करेंगे तो मैं उनके समर्थन में हूँ, अन्यथा नहीं हूँ। जनता चाहेगी तो खदान चालू होगी, नहीं चाहेगी तो नहीं।
298. श्रीमती कमली, ग्राम बरडांड— खदान नहीं चाहिए।
299. कु. देवती, ग्राम बरडांड— समर्थन है।
300. कु. बिफनी यादव, ग्राम बरडांड — रोजगार चाहिए।
301. कु. दुर्गा सोनवानी, ग्राम सरभंजा — सहमत है।
302. कु. तारा, ग्राम कमलेश्वरपुर— समर्थन है।
303. श्रीमती मतनी बाई, नर्मदापुर— पानी चाहिए, खदान नहीं चाहिए।
304. श्रीमती रजनी बाई, ग्राम केसरा—खदान नहीं चाहिए।
305. श्रीमती संझई, ग्राम बरपारा— खदान नहीं चाहिए।
306. श्रीमती सुखनी, ग्राम नवापारा— खदान नहीं चाहिए।
307. श्रीमती मंगई, ग्राम सपनादर— आधार कार्ड नहीं बना है हमने फार्म दिया था।
308. श्री कृष्णा, ग्राम कुदारीडीह — खदान नहीं चाहिए।
309. श्री बालक, ग्राम कुदारीडीह — खदान नहीं चाहिए।
310. श्री जवाहर, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।

311. श्री लाल साय, ग्राम कुदारीडीह – मुझे जगह जमीन चाहिए, पानी चाहिए।
312. श्री कृष्णा सिंह, ग्राम जूनापारा– खदान बंद होना चाहिए।
313. श्री रामकुमार, ग्राम कुदारीडीह – खदान नहीं चाहिए।
314. श्री नान साय, ग्राम कुदारीडीह – खदान नहीं चाहिए।
315. श्री सुखलाल, ग्राम बरिमा– खखरा, डबरा से गाय भैंस को खतरा है, खदान नहीं चाहिए, जमीन चाहिए।
316. श्रीमती सुनीता, ग्राम बरिमा – खदान नहीं चाहिए, पानी और जमीन चाहिए।
317. श्रीमती भारती, ग्राम बरिमा– कुछ नहीं चाहिए।
318. श्रीमती पयासो, ग्राम बरिमा– खदान नहीं चाहिए।
319. श्री राजकुमार यादव, ग्राम कुदारीडीह –खदान आना चाहिए।
320. श्रीमती करेली, ग्राम बरिमा– खदान नहीं चाहिए।
321. श्री सोन साय, ग्राम कुदारीडीह –खदान नहीं चाहिए, खेतबारी चाहिए, पानी चाहिए। बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिसमें गोरू गिर जाते हैं।
322. श्रीमती सुखनी, ग्राम पखरीपारा– खदान नहीं चाहिए।
323. श्री संजय, ग्राम कुदारीडीह –खदान नहीं चाहिए।
324. श्रीमती शांति, ग्राम कुदारीडीह –खदान नहीं चाहिए, पानी चाहिए।
325. श्रीमती बुधनी, ग्राम बरिमा–खदान नहीं चाहिए
326. श्रीमती सुखनी, ग्राम जूनापारा – खदान नहीं चाहिए।
327. श्री देव, ग्राम कुदारीडीह – खदान नहीं चाहिए।
328. श्री बुधसाय, ग्राम कुदारीडीह –खदान नहीं चाहिए।
329. श्री बीर साय, ग्राम केसरा– बालको हट जाना चाहिए।
330. श्री अनुज साय, ग्राम कुदारीडीह – खदान नहीं चाहिए।
331. श्री सुमीर, ग्राम केसरा– खदान नहीं चाहिए।
332. श्री सत्यनारायण, ग्राम केसरा– आज तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। जमीन फसने के बाद काम भी नहीं मिला है, विरोध करते हैं।
333. श्री राम, ग्राम कुदारीडीह – खदान नहीं चाहिए।
334. श्री मितराम गुप्ता, ग्राम कुदारीडीह – खदान बंद होना चाहिए।
335. श्री सुंदर साय, ग्राम कुदारीडीह – खदान नहीं चाहिए।
336. श्री चौरू, ग्राम कुदारीडीह– खदान नहीं चाहिए।
337. श्री छोटे लाल, ग्राम केसरा– बालको भगाओ मैनापाट बचाओ, खदान नहीं चाहिए।
338. श्री महेश, ग्राम केसरा– खदान नहीं चाहिए।
339. श्री सुंदर, ग्राम सपनादर– सपनादर में लगे केशर से धूल उड़ रहा है। नाला का पानी सूख जा रहा है, बालको भगाओ मैनापाट बचाओ।
340. श्री जगलाल, ग्राम बरडांड– चार एकड़ जमीन है ऊपर का मिट्टी नीचे तथा नीचे का पत्थर ऊपर कर दिये हैं। पत्थर पूरा प्लेन नहीं किये गये हैं। मिट्टी ऊपर नहीं है तो खेती कैसे करें। धान बोते हैं तो होता नहीं है। बालको भगाओ मैनापाट बचाओ।
341. श्री ललित कुमार, ग्राम केसरा–हमारे गांव में खदान नहीं खुलना चाहिए।

342. श्री फूलसाय लकड़ा, पूर्व जनपद सदस्य— 13 जून 1999 को बड़ा आयोजन किया गया था। 1963 में तिब्बतियों को सात कैंपों में बसाने का काम किया गया। उद्योग द्वारा खनन 1986 से शुरू हुआ। पहले के परिदृश्य में जल स्तर क्या था, आज क्या है ? मैनपाट की जो परिस्थितियां पहले थी वह आज नहीं है। आज किस कारण से समस्या आ रही है, बालको को समझना चाहिए। यहां के लोग साल की पूजा करते हैं आदिवासी समाज के लिये बालको प्रबंधन किस हैसियत से आज क्षमता विस्तार कर रहा है। बालको क्षमता विस्तार को रोके, जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाता।
343. श्री रामप्रसाद, ग्राम केसरा— जमीन की खुदाई की गई, मेरा नाम नहीं जोड़ा गया है। पानी सूख गया है, ब्लास्टिंग के चलते मकान का खपड़ा गिर जा रहा है। यहां से बालको भागे।
344. श्री नगेश्वर, ग्राम केसरा— खदान नहीं खुलना चाहिए, जमीन को टिकरा बना दिया गया है। बालको यहां से चला जाय, जंगल को नष्ट कर दिया है, बालको हटे।
345. श्री कुंदर साय, ग्राम केसरा — मांझी जाति की उत्पत्ति मैनपाट से हुई है। हम लोगों को ठगा गया, प्रलोभन दिया गया, आज हम लोग परेशान हैं, हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जंगल में पानी स्रोत खत्म होने जा रहा है। जमीन नष्ट हो रहा है। जमीन रहेगा तो पैसा रहेगा, यहाँ पर मैनपाट से बाहर के लोगों को प्रभोलन देकर लाये हैं। बालको यहां से चला जाये, हमारा मैनपाट बच जाये।
346. श्री कमल साय, ग्राम केसरा — पानी का स्रोत खत्म होते जा रहा है। जमीन रहेगा तो जल, जंगल रहेगा। जमीन नहीं देंगे।
347. श्री भागीरथी, ग्राम नर्मदापुर — बालको को समर्थन कर रहा हूं।
348. श्री ऋषभ सिंह, ग्राम नर्मदापुर — खदान खुलेगा तो छत्तीसगढ़ का मैनपाट मरनपाट हो जायेगा।
349. श्री बलराम दास, ग्राम बरिमा — फुल विरोध करता हूं। खदान नहीं खुलना चाहिए।
350. श्रीमती राजकुमारी, ग्राम कुदारीडीह — पानी नहीं मिल रहा है।
351. श्री बलवंत यादव, ग्राम केसरा— बालको ने कुछ नहीं किया है। क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। मृदा, पानी प्रदूषित हो रहा है। गंदगी की सफाई नहीं की गई है। समुचित दवा भी नहीं करवाई जा रही है, हम विरोध करते हैं।
352. श्रीमती फुलझर, ग्राम कुदारीडीह— पानी नहीं है, खदान नहीं चाहिए।
353. श्री सियाराम, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहिए।
354. श्रीमती फगुनी, ग्राम सपनादर— काम नहीं दे रहे हैं, खेत बाड़ी में गडढा कर दे रहे हैं, खदान नहीं चाहिए।
355. श्री अमर साय, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन है।

356. श्री गणेश कुमार यादव, उपसरपंच, ग्राम पंचायत बरिमा-मैनपाट की स्थिति खराब है, छोटा-छोटा हैण्ड पंप लगवाया गया है। हम आदिवासियों के साथ है, पूरी पंचायत के साथ है। 80 प्रतिशत लोग सहमत है। हम विरोध करते हैं।
357. श्रीमती प्रमिला, ग्राम सपनादर- काम किया था उसका पैसा भी नहीं दिया गया है, विरोध है।
358. श्री शिव कुमार, ग्राम कुदारीडीह- बालको हटाओ मैनपाट बचाओ।
359. श्री सामस कुमार, ग्राम कुदारीडीह - बालको हटाओ मैनपाट बचाओ।
360. श्री जोखन यादव, ग्राम केसरा- यहां 20 साल से खदान चलते आ रही है बालको आश्वासन दे रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। अच्छी-अच्छी रोड बनायेगा, अपना गाड़ी कुदायेगा।
361. श्री मुन्ना यादव, ग्राम पथरई- प्राकृतिक सौंदर्य के मैनपाट को बालको ने खराब कर दिया है। 20 वर्ष पहले यहां मूसलाधार वर्षा होती थी, आज एक महीने ही वारिश होती है। यहां ठंड कम पड़ रही है, गरमी ज्यादा पड़ रही है। अंधाधुंध पेड़ों को काट दिया गया है, वनों को काट दिया गया, हमारे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। मैनपाट के हर क्षेत्र को दूषित किया गया, केमिकल से ब्लास्ट किये जाते हैं। वह हमारे वायु को दूषित कर देती है, कार्बन डाई आक्साईड धरती को हिला देता है। हमारे घरों की दीवारें क्रैक के तौर पर सबूत है। प्राकृतिक स्रोत सदा के लिये समाप्त हो चुके हैं।
362. श्री मुनेश्वर, ग्राम केसरा- पेड़-पौधे नष्ट हो गये हैं, पानी नीचे चला गया है। पानी की तकलीफ हो गई है। नदी नाला सूख गया है।
363. श्रीमती मरवारी, ग्राम सपनादर - आधा लोगों का नाम चढ़ा है, हमारे परिवार का नाम नहीं चढ़ा है, ब्लास्टिंग से पानी रुक नहीं रहा है बालको भाग जाय।
364. श्री संजय कुमार, ग्राम कुदारीडीह-बालको भगाओ जमीन बचाओ।
365. श्री ललित, ग्राम केसरा-हमारे जल, जंगल और जमीन को बचाओ। पानी नीचे चला गया है। हमको काम नहीं मिला है। खदान नहीं चाहिए।
366. श्री अमरजीत भगत, विधायक सीतापुर- आज हम लोग यहां जन सुनवाई में अपना पक्ष रखने आये हैं। सुनवाई का मुख्य उद्देश्य है कि आपने कन्सेंट दे दिया है कि आपको खदान खोलना है, इसलिए लोगों का अभिमत आप ले रहे हैं। यहां अभिमत सभी लोग अपना-अपना दे रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान करें, जनता क्या बोल रही है आप लोग नोट कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर जन सुनवाई के न पक्ष में बोलूंगा न खिलाफ में। यहां की सुंदरता, पर्यावरण और सड़क का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके कारण किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति न बड़ा होता है न छोटा इनकी सबकी उम्मीदें बढ़ी हैं मैं चाहूंगा कि गुण दोष के आधार पर रिपोर्ट पेश करें। मैनपाट को शिमला कहते हैं। यहां एफारेस्टेशन हो रहा है जिससे तापमान बढ़ रहा है और उसी की दशा में यदि हम छोड़ दें तो बेमानी होगी। यदि हम उसका दोहन कर रहे हैं तो उसका संरक्षण भी करें। एक पेड़ कटने पर दस पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ हम सबका जीवन रक्षक है। पेड़ हमें आजीवन शुद्ध हवा देता है। अतः इसे संरक्षित करना नैतिक जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि

बालको ने कुछ नहीं किया। मैनपाट से बंदना आने वाली रोड को बनाने के लिए एक नहीं कई आंदोलन किये। लेकिन आज सड़क बना अच्छा बना इसके लिये आपको बधाई देते हैं। लेकिन इतने में जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। यहां बिजली गिरती है बड़े पैमाने पर जन हानि होती है, यहां जो तड़ित चालक लगे हैं वह बहुत कम क्षमता के हैं। नोट किया जाय कि ऐसे में बालको की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनहानि को रोकने के लिए मैनपाट में चार पांच जगहों पर अधिक पावर के तड़ित चालक लगवायें। हम आप किसी को देने लायक हैं, तो देना चाहिए। यहां जब कोई बीमार हो जाता है तो एंबुलेंस उपलब्ध करावें। यहां डायरिया फैलने से लोगों की मौते होती है ऐसे में यहां कंपनी की नैतिक जवाबदारी बनती है कि इस पर मैनपाट क्षेत्र में ध्यान दिया जाय। मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया जाये। यहां कई ऐसी बसाहट है जैसे शिकरिया, मड़वासरई जहां आज भी एम्बुलेंस सेवा नहीं पहुंचती है। लोग मरीज को घर से खाट आदि से अस्पताल लेकर आते हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यहां कोई भी बीमारी या दवाई के अभाव में न मरे। साथ ही बीमारी फैलने का कारण लोगों के द्वारा नाले का पानी उपयोग किये जाने से है इन्हें साफ जल उपलब्ध करावें, जिस प्रकार स्वच्छ हवा जरूरी है वैसे स्वच्छ जल भी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, इसके लिये बालको अपनी जिम्मेदारी निभाये। यहां कुल 20 पंचायत है तो हर साल 20 हैण्डपंप लगाना चाहिए। हर वार्ड में हैण्डपंप देने में क्या बुराई है। माईनिंग से गड्ढे हो जा रहें हैं, उन्हें तालाब बना दिया जाये जिसमें लोग मछली पाल सकें। कंपनी बनाम गांव में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोगों को आप अपना मित्र बनाईये। सड़क मेरी पहली प्राथमिकता है यहां से कापू मार्ग को बनवाना शुरू किया जाय, जो कि पांच सात किमी. का है, अपनी कार्यवाही छः माह या साल भर में पूरी करें। सड़क यहां का आकर्षण है। यहां के जंगल और सड़क को विकसित करना है। कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करें। यहां के लोग पक्ष में और विपक्ष में बोले हैं जो आपके विपक्ष में बोले हैं वो आपके दुश्मन नहीं है उसका कुछ कारण है। आपको यहां के लोगों से मिनिमम संबंध रखना चाहिए और उसे निभाना चाहिए। यहां किसी का बहुत ज्यादा मांग नहीं है यदि किसी का मांग ज्यादा भी है तो उसे आप अपनी सीमा तक पूरा करें। लोगों को अपने पक्ष में रखें। आप लोग जन प्रतिनिधि पर अविश्वास न करें। जो आप लोगों ने बोला है। मैं उसी में सहमत हूं।

367. श्री सोनसाय माझी, ग्राम कुदारीडीह— खदान से कई प्रकार की बीमारियां फैलती है इसलिए मैं चाहता हूं कि खदान बंद हो।
368. श्री सलीम, ग्राम कुदारीडीह — हमको खदान नहीं चाहिए।
369. श्री हंस कुमार, ग्राम केसरा— खदान हमको नहीं चाहिए।
370. श्री विश्वनाथ, ग्राम कुदारीडीह —खदान नहीं चाहिए।
371. श्री संतनू यादव, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
372. श्री अंबिकेश्वर यादव, ग्राम केसरा—एक महीने सात दिन काम दिया उसके बाद निकाल दिया। हमको खदान नहीं चाहिए, मैनपाट चाहिए।

373. श्री गंगाराम, ग्राम केसरा—बालको हट जाय, मैनापाट बच जाय, हमको खदान नहीं चाहिए।
374. श्री रामू राम, ग्राम केसरा— खदान हट जाय, मैनापाट बच जाय।
375. श्री सरजू यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष, मैनापाट— कंपनी हास्पिटल बनाये जिससे अंबिकापुर के लोग भी यहां आकर ईलाज करा सके। स्कूल की सुविधा नहीं है। स्कूल की भी व्यवस्था यहां होना चाहिए। पर्यावरण के हित में जो भी काम चल रहा है, वह जनता के हित में ही किया जाये।
376. श्री कफूर, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
377. श्री अमरेश यादव, ग्राम केसरा— खदान का विरोध करता हूं। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाये तो यहां धूल, धूप और दूषित वायु मिला है।
378. श्री फुलेश्वरी सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरगुजा — हम जनता के साथ हैं और बालको से निवेदन है कि जितना भी यहां पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसे ठीक करें और जनताओं को खुश रखे, उनकी मांग पूरा करें। बेरोजगारों को रोजगार दें, प्रदूषण न फैले पौधा लगाये, पर्यावरण पर ध्यान दे और जनताओं को भरपूर लाभ दे। और यह नहीं कि उद्योग न खोलें। बाक्सार्ड खदान खुलने से सब जनता लाभांवित हो, ऐसा मैं बालको से आशा करती हूं। बालको से निवेदन है कि प्रभावित जमीन वालों को लाभ हो और जनसुनवाई का मौका फिर न आये। ताकि आपका साथ संपूर्ण रूप से दे पायें।
379. श्री रघुनाथ, ग्राम कुदारीडीह— हमें खदान नहीं चाहिए। जगह, जमीन, पानी चाहिए।
380. श्री भोला शंकर यादव, ग्राम सपनादर— जो पट्टा वाली जमीन है या सरकारी जमीन है, मुआवजा बराबर दिया जाना चाहिए। हमारी बात कोई नहीं सुनता है।
381. श्री मुन्ना यादव, ग्राम सपनादर— खदान चले उसका कोई विरोध नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार दें। जय छत्तीसगढ़ जय भारत।
382. श्री मंगलूराम, ग्राम कुदारीडीह — विरोध है, जमीन में अनाज नहीं हो रहा है, पानी नीचे जा रहा है।
383. श्री शोभित, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाहते हैं। जगह, जमीन, पानी चाहते हैं।
384. श्री फनर लकड़ा, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
385. श्री विरेन्द्र खेचा, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहता हूं।
386. श्री विजय कुमार, ग्राम कुदारीडीह—बालको के उत्खनन से गड्ढे हो गये हैं। उसको नहीं भठाये है, इसलिए विरोध करता हूं।
387. श्री सुरेश कुमार यादव, ग्राम उड़मकेला—हमारे यहां पौधों का बहुत अच्छा योजना चल रहा है जिससे प्रदूषण को रोका जा रहा है। इसीलिए मैं बालको का पूर्ण समर्थन करता हूं।
388. श्री भरत एक्का, ग्राम उड़मकेला— हमारे गांव से नदी दूर है, यहां हैण्ड पंप सूख जाता था। बालको ने पंप दिया, आम, नीबू का पौधा दिया और रोजगार दिया। इसलिए मैं बालको का समर्थन करता हूं।
389. श्री बंधन, ग्राम केसरा— हमें खदान नहीं चाहिए।

390. श्री मुरारी राम यादव, ग्राम केसरा—यहां बालको का खदान खुलना चाहिए, बालको खदान खुलने से बहुत फायदा है। वृक्ष लगाये जा रहे हैं और रोजगार भी मिल रहा है।
391. श्री मनोज, ग्राम केसरा— खदान नहीं खुलना चाहिए।
392. श्री गोपना, ग्राम कुदारीडीह— खदान हटेगा और मैनपाट बचेगा।
393. श्री राजू तिग्गा, प्रतापगढ़ — हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि खदान खुलना चाहिए।
394. श्रीमती संतरा बाई, ग्राम कुदारीडीह — जमीन खोदेंगे तो चार लोग को नौकरी चाहिए।
395. श्री राम प्रसाद यादव, ग्राम बरिमा— 20 वर्ष पहले से मैनपाट क्षेत्र में बालको एवं सीएमडीसी द्वारा बाक्सार्ट का उत्खनन किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में जल स्तर नीचे चला जा रहा है, इसके लिये कोई उचित कदम नहीं उठाया गया, न ही बांध बनाया गया है, पेड़ पौधा लगाया गया है उसका रखरखाव भी नहीं किया जा रहा है। जिनकी जमीन लीज में गई है उन्हें 10 हजार में नौकरी पर रखा गया है। जिसकी जमीन नहीं गई है उनको नौकरी नहीं दी गई है। मैनपाट से कशर हटाईये, यहां के नव युवाओं को नौकरी दें और काम दिया जाये। यहां के लोग पलायन कर रहे हैं। यहां के लोगों को रोजगार चाहिए। यहां बेरोजगारी है। यहां के जल को बचाने के लिये बांध का निर्माण करवाईये। हमारे क्षेत्र की जनता पंजीयन करने के लिये बोलती है तो खदान से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर बालको यहां माईनिंग करना चाहती है तो यहां के युवाओं को रोजगार दे। यहां स्कूल, सड़क, अस्पताल की व्यवस्था हो।
396. श्री तेज कुमार, ग्राम बरिमा— विरोध करना चाहता हूं। पहला कदम बालको ने मैनपाट के कुदारीडीह में रखा, और यहां के लोगों को कितना गुमराह किया। जनता जागरूक हो और खदान न खुलवायें। बालको बाक्सार्ट खोद के ले जाती है तो यहां के लोग कहां जायेंगे। मैनपाट में बहुत परेशानी हो रही है।
397. श्री रोशन यादव, ग्राम केसरा— बालको द्वारा सड़क, स्कूल, अस्पताल दिया है। समर्थन करता हूं।
398. श्री गिरधारी, ग्राम कुदारीडीह — जमीन मत बेचों, खुद कमाओ खुद खाओ और सुरक्षित रहो।
399. श्री विष्णु, ग्राम केसरा— खदान हटाओ मैनपाट बचाओ।
400. श्री प्रबोध मिंज, पूर्व महापौर अंबिकापुर—आज आम जनता की ओर से विचार के लिये जनसुनवाई हो रही है। जनता से जो विचार सुझाव/प्रस्ताव/शिकायतें आयेगीं उनसे रास्ता निकलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के लिये यह पर्यटन का प्रमुख केन्द्र है। यह छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, यहां विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। पर्यटक के रूप में लोग यहां आते हैं। बाक्सार्ट का उत्खनन करना है। जनता के साथ कंपनी की सहभागिता होना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं दी जाये। इस क्षेत्र के विकास के लिये अच्छी सड़क बनाई जाये साथ ही स्कूल, अस्पताल खोला जाये। अच्छी सुविधा के साथ बालको काम करती है तो ठीक बात है। जमीन को खेती हेतु तैयार किया जाये। गार्डन बनाये और

लोकल लोगों के लिये काम करने की आवश्यकता है। अच्छी सुविधा के साथ बालको यहां काम करती है तो उसका समर्थन करता हूं। वृक्षारोपण में अरकेसिया के अलावा दूसरे पौधे भी लगायें।

401. श्री रामपूजन यादव, ग्राम केसरा— बालको कंपनी आने से हम लोगों को बहुत फायदा मिला। केशर और माईन चलाये, कंपनी पूरे परिवार को साथ दे रही है। मैं बालको का विरोध नहीं करता हूं।
402. रूपेश यादव, ग्राम केसरा— बालको के आने से बेरोजगारी दूर हो गई है।
403. श्री नीलेश यादव, ग्राम केसरा— खदान का समर्थन करता हूं।
404. श्री विद्या सागर, ग्राम पखरीपारा— 40 से 50 फिट गडढा खोद दिया है। उसको भाठा नहीं गया है, मैं बालको का विरोध करता हूं।
405. श्री मनोज, ग्राम बरिमा— यहां सोना चांदी भरा है उसे बालको लूटना चाहता है। मैं बालको विरोध करता हूं।
406. श्री रिकू यादव, ग्राम केसरा— खदान का समर्थन है।
407. श्री राजकमल यादव, ग्राम केसरा— बालको का समर्थन है।
408. श्री नीरज, सरपंच, ग्रामपंचायत कुदारीडीह— मैनपाट में विकास हुआ है जिसके लिये बालको का समर्थन करता हूं।
409. श्री सुलतान खान, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन है।
410. श्री रुद्र प्रताप, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन है।
411. श्री संतलाल यादव, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन है।
412. श्री जोसेफ, ग्राम पथरई— बालको का समर्थन है।
413. श्री यादव, ग्राम पथरई— योग्यता के अनुसार रोजगार मिले तो समर्थन है।
414. श्री रोहित कश्यप, ग्राम प्रतापगढ़ — बालको का समर्थन करता हूं।
415. श्री शैलेश सिंह, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष मैनपाट— बाक्सार्ट माईन शुरू होने के पहले यहां के लोग मालिक थे, लेकिन आज नौकर हो गये हैं। यहां लोगों को अधिकतम लाभ मिले, जमीन का मुआवजा मिले। वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। पर्याप्त व्यवस्था होती तो विरोध नहीं होता। स्किल डेव्लपमेंट का विकास कंपनी करे, सब लोगों को रोजगार मिले। बालको खुलना चाहिए।
416. श्री नर्मदा प्रसाद यादव, ग्राम सपनादर — बालको बाक्सार्ट का दोहन कर चुका है विकास नहीं किया है। केशर से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है लीज से बाहर कशर बिठाकर कशिंग किया जा रहा है। ब्लास्ट किये हुए पत्थर से गांव का पर्यावरण प्रदूषित किया जा रहा है। नल सूख चुका है। बालको प्रबंधन यूनिट बढ़ाने का काम कर रहा है। निवास स्थान की दूरी से 100 मीटर पर केशर लगा हुआ है। गांव के बीच में कशर लगाया गया है।
417. श्री विष्णु सिंह देव, अंबिकापुर— खदान हमारी शर्तों पर खुलना चाहिए। स्कूल, शिक्षा पर काम किया जाना चाहिए। हर साल पांच बच्चे चयनित करिए। खदान का समर्थन है।
418. श्री बालसाय नाग, ग्राम बरिमा— जमीन में जड़ी बूटी होती है जिससे दवाईयां बनती है। आंगन बाड़ी में थोड़ा काम होता है। केमिकल लगाकर ब्लास्टिंग की जाती है।

419. श्री मुन्ना यादव, ग्राम पथरई— आज अगर बालको नौकरी देती तो कोई बेरोजगार नहीं होता। बालको नहीं चाहिए। बालको हटाओं मैनपाट, केसरा, पथरई बचाओ।
420. श्रीमती रीता एक्का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता — मैं बालको की आलोचना नहीं करना चाहती हूँ। यहां का क्लाइमेट चेंज हो गया है। अगर काम आगे चालू करना चाहते हैं तो जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा करनी होगी। यहां की जनता के हिसाब से जल, जंगल, जमीन नहीं रहेगी तो मनुष्य का जीवन अधूरा रहेगा। हम लोग पर्यावरण को नहीं बचा रहे हैं। मैनपाट को दर्शनीय स्थल माना जाता है।
421. श्री पप्पू यादव, ग्राम पथरई — मैनपाट प्रकृति की गोद में पला है इसको नष्ट कर दिया गया है। यहां का जनजीवन नष्ट हो गया है। ब्लास्टिंग के दौरान केमिकल का उपयोग होने से वायु प्रदूषण होता है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। बालको खदान बंद करे।
422. श्री पन्नालाल, ग्राम बरिमा पखरीपारा— बालको का विरोध करते हैं।
423. श्रीमती पुष्पलता, ग्राम रोपाखार — रोपाखार गांव को बालको ने गोदनामा लिया था। हम लोगों का कुछ काम नहीं किया। यहां पानी की समस्या है बालको कुछ काम नहीं देता है। बालको बंद हो जाना चाहिए। कशर मशीन को बंद किया जाये, काम दिया जाये नहीं तो काम को बंद किया जाय। सभी को काम दिया जाये तो समर्थन कर सकते हैं नहीं तो बंद हो जाये।
424. श्री दिनेश कुमार, ग्राम बरिमा— बालको हटाओ मैनपाट बचाओ।
425. श्री महेश कुमार यादव, ग्राम बरिमा— बालको रहे, सभी युवाओं को रोजगार दे।
426. श्री देवधारी यादव, ग्राम सपनादर — बालको कंपनी काम कर रही है। ग्रामवासियों से सहमत लिया है, सहमत से कार्य कर रहे हैं समर्थन कर रहा हूँ। कुछ लोगों को रोजगार सपनादर में नहीं दिया गया है। जिनकी जमीन खोदी जा रही है, सभी को रोजगार दें। शासकीय जमीन पर खेती कर रहे हैं इसको हम कोड़ देंगे उस पर आपको हटा देंगे। यह हमारी लीज में है अतः उसका जो भी मुआवजा बनता है तो दिया जाये बालको प्रबंधक हमको किसान के रूप में माने। हमारी मांग है उसे पूरी करें।
427. श्री इरफान सिदीकी, ग्राम कुदारीडीह— बालको और आम लोगों में गैप है। हैण्डपंप छोटे-छोटे लगाये गये हैं उसकी जगह बड़े हैण्डपंप लगाये जायें। मैनपाट को लाभ हो रहा है। बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। बालको द्वारा खनन राष्ट्र हित में है, मैं समर्थन करता हूँ।
428. श्री चंद्रिका यादव, ग्राम सपनादर— सपनादर लीज के अंदर जमीन, घर—मकान सब फंस गया है, काम दिया जाये नहीं तो खदान बंद किया जाये।
429. श्री विकास कुमार, ग्राम बरिमा— खदान का विरोध करता हूँ।
430. श्री सियाराम यादव, ग्राम पथरई— यह सब कह रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे कि आगे क्या होगा। अभी लोभ मिल रहा है, लेकिन आने वाले पीढ़ी में लोग रोयेंगे। यहां दलदली, मेहताब, मछली प्वाइंट है। बाक्सईट खदान से घरों में

धूल आ रहा है। खदान के गड्ढे हैं जिसमें बच्चे गिर सकते हैं। जीव जंतु पानी के लिये तड़प रहे हैं। घुनघुटा नदी का पानी सूख गया है।

431. श्री संतोष कुमार गुप्ता, ग्राम पथरई— इस देश में संविधान है संविधान में कई प्रावधान हैं। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के माझी भाई हैं। बालको कंपनी द्वारा खुदाई कार्य किया गया है। बालको प्रबंधन पहले घर बनाने के लिए प्लास्टिक देते थे, अब नहीं देते हैं। हम सूचना का अधिकार लगायेंगे। पेशा एक्ट के तहत 5वीं अनुसूची के आधार पर ग्रामसभा सर्वोपरि है। ग्रामसभा बोल रही है कि हमको खदान नहीं चाहिए।
432. श्री गोपीलाल यादव, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन करता हूं।
433. श्री दिलवर यादव, ग्राम केसरा— नदी में मिट्टी बहकर जा रही है जिससे नदी पट रही है। खदान को समतलीकरण कर कृषि कार्य कर रहे हैं। फारेस्ट को जो जमीन वापस की जाती है वो किसान को वापस की जाये। खदान के बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसमें गिरकर मवेशी मर रहे हैं। मुआवजा क्लियर नहीं किये हैं। स्किल डेव्लपमेंट के नाम पर कुछ नहीं किया गया है। खदान में नीलगिरी का पौधा लगाया गया है जो कि प्रतिबंधित है। रोजगार 400 लोगों को दिया गया है 800 लोग कहां जायेंगे। बालको खुलना चाहिए।
434. श्री नंदलाल यादव, ग्राम पथरई— हम बालको का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि लोग बेरोजगार हैं, काम नहीं मिला है।
435. श्री सत्यनारायण यादव, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन करता हूं।
436. श्री राजेश यादव, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन करता हूं।
437. श्री नरेश यादव, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन करता हूं।
438. श्री दीपक बाघ, ग्राम बरिमा — यहां पहले भुखमरी छाई थी, यहां जंगल था, पानी था, पर्यावरण स्वस्थ था। जंगल से महुआ सरई लाते थे। उस समय अकाल था। जमीन हमारी माता है, जंगल हमारे पिता हैं। हम जमीन, जंगल नहीं देंगे हमको बालको नहीं चाहिए। बालको हटाओ।
439. श्री जुगधारी यादव, ग्राम केसरा— बालको द्वारा कई प्रकार की सुविधा दी जा रही है शिक्षा, नौकरी में सुधार हुआ है। जमीन को समतलीकरण कर पौधा लगाया जाता है। वाचमैन भी रखा जाता है। वाटर लेवल को बनाये रखने हेतु बालको ने प्रयास किया है। बालको के आने से विकास हुआ है।
440. श्री शिवधारी यादव, ग्राम सपनादर— कंपनी ने 175 आदमी को काम दिया है। ग्रामवासियों को काम मिलना चाहिए। स्थाई जमीन हमारी लिये है तो उनको स्थाई नौकरी देना चाहिए। फलदार वृक्ष लगायें। बालको के रहते, अच्छा भी है बुरा भी है, हमारे मैनपाट की भूमि का बहुत महत्व है। मैनपाट का अच्छा पर्यावरण है जो आसपास के क्षेत्र को हवा प्रदान करता है। बालको उस पर ध्यान दे, बढिया—बढिया पौध लगा के दें, बरगद का पेड़, नीम का पेड़ दें, उनकी छाया में जाये तो बढिया ठंडा हवा देता है। यहां पर कई नदियां हैं। इसके लिये बालको को ध्यान देना होगा। यहां के जल स्तर पर ध्यान दें।
441. श्री उदयनाथ माझी, सरंपच, ग्राम सपनादर — बालको के रहते तक आज हम लोग अच्छा भी है बुरा भी है, हम लोग को नौकरी नहीं मिला। अभी 250 रुपये

के हिसाब से नौकरी दिये है। हम लोगों को 20 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा चाहिए।

442. श्री समापति, ग्राम पथरई— मैनपाट गन्ने के तरीके का है, इसका रस जितना चूसना है चूस ले रहे हैं और चूस के फैंक दे रहे हैं। खदान खोलेंगे तो गडढा होगा, पानी खत्म होगा, धूल उड़ेगा, यहां नदिया रो रही है। खदान से कोई लाभ नहीं है। गुमराह में न डाले।
443. श्री नरेन्द्र यादव, ग्राम नर्मदापुर— बालको का समर्थन करता हूं, मेरी मांग है कि यहां इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें।
444. श्री त्रिलोकी यादव, ग्राम केसरा— बालको हमारी जमीन का 20-25 साल खुदाई किया, हमारे घर के सामने कशर मशीन बिठा दिया है, जिससे घर में धूल जाती है, जिससे पागल हो जाते हैं। ठेकेदार काम पर रखता है और भगा देता है, काम बालको को देना चाहिए।
445. श्री सुपारी लाल, ग्राम सपनादर— समर्थन है।
446. श्री जयप्रकाश, ग्राम बरिमा— बालको हटाओ मैनपाट बचाओ।
447. श्री रामेश्वर यादव, उपसरपंच, ग्राम सपनादर— पट्टे की भूमि का बहुत कम रेट से मुआवजा बनाया गया था अब 10 लाख एकड़ के हिसाब से मुआवजा बनाया जाये। और जिनकी जमीन की खुदाई हो चुकी है, उसको वापस किया जाये। बालको विरोध करने से भाग नहीं जायेगा।
448. श्री सीताराम यादव, ग्राम सपनादर— बालको सभी लोगों को रोजगार दे, मैं समर्थन करता हूं।
449. श्री दिलेश्वर यादव, ग्राम सपनादर— बालको हटाओ मैनपाट बचाओ।
450. श्री पारस यादव, ग्राम सपनादर— मैं सपनादर का पटेल हूं। मुआवजा बढ़ायें, नौकरी दे, सभी काम ठीक से करे, समर्थन है।
451. श्री ललेस यादव, ग्राम सपनादर — बालको का समर्थन है।
452. श्री राजेश यादव, ग्राम सपनादर— समर्थन है।
453. श्री सुखलाल यादव, ग्राम सपनादर — बालको का समर्थन है।
454. श्री विकास चतुर्वेदी, ग्राम पथरई— प्राकृतिक तापमान बढ़ रहा है। यह प्राकृतिक समस्या है, तापमान मैनपाट का ही नहीं सभी जगह बढ़ रहा है। क्या सभी लोग जल का बचाव करते हैं। यह आदिवासी क्षेत्र है यहां लोग पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। हम प्राकृतिक आपदा का तड़ित चालक लगाकर बचाव कर सकते हैं, हम बालको का समर्थन करते हैं।
455. श्री भुवनेश्वर, ग्राम बरिमा— मैनपाट बचाना है बालको हटाना है।
456. श्री अजय महंत, ग्राम रोपाखार— मैं बालको का समर्थन करता हूं। मैनपाट में पेड़ कटे हैं, तो 20 बालको ने काटे हैं और 80 हमने काटे हैं। घर में लकड़ी से खाना बनता है तो वहां भी प्रदूषण होता है। महाराष्ट्र में गरमी से चार लोग मरे हैं, वहां भी पर्यावरण बदल रहा है। यदि पर्यावरण बचाना है तो उसकी पहल हम यहां के निवासियों को करना चाहिए। बालको की लीज खत्म हो जायेगी वह चला जायेगा। औद्योगिकीकरण बढ़ेगा तभी विकास होगा। लेकिन बालको की कुछ कमियां हैं, जैसे यहां गडढे हैं, उसको पटवाये तथा अच्छे स्कूल,

चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करे। मैं पूर्ण रूप से बालको का समर्थन करता हूँ।

457. श्री सोहन राम, ग्राम नर्मदापुर— मैं बालको का विरोध करता हूँ। हमें अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे कि पर्यावरण ठीक रहे।
458. श्री सुखनाथ, ग्राम सपनादर— बालको सबको काम दे, समर्थन है।
459. श्री शंकर राम, ग्राम नर्मदापुर— बालको का विरोध है।
460. श्री अरविंद महंत, ग्राम बरिमा— मैं बालको का पूर्ण समर्थन करता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। अपने स्वार्थ के लिये जंगल की कटाई करते हैं, उसे रोकें। बालको ने पेड़ लगाया है। कंपनी अरकेसिया, यूकेलिप्टिस के अलावा फलदार पौधे लगायें, मैं बालको का पूर्ण समर्थन करता हूँ।
461. श्री जगदीश यादव, ग्राम सपनादर— चाहे पट्टे की जमीन हो या कब्जे की जमीन हो, सभी एक समान है। बालको का लीज पारित हो गया है। भूमि का पट्टा नहीं बन पाया है। उसका मुआवजा पट्टे जैसे जमीन का बनना चाहिए।
462. श्री हरिओम यादव, ग्राम नर्मदापुर— आज जितना पर्यावरण को दूषित करने के लिये बालको जिम्मेदार है उतना ही हम पब्लिक भी जिम्मेदार हैं। बालको काम करे या न करे हमको अपने आप में भी सुधार लाना चाहिए। खेत बनाकर नदी को पाट डाला गया है। हमको केवल बालको के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हम लोग को अपने आप में सुधार लाना चाहिए। हमको भी पौधो, प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए। बालको यहां कशर लगाती है तो मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। मैं बालको का विरोध भी नहीं करता और न समर्थन करता हूँ। हम विकास के साथ हैं।
463. श्री राधेश्याम यादव, मैनपाट— समर्थन करता हूँ।
464. श्री प्रताप कुमार, ग्राम बरिमा— समर्थन है।
465. श्री मान कुमार, ग्राम पथरई — विरोध करता हूँ।
466. श्री राम विचार यादव, ग्राम सपनादर— न तो मैं बालको का विरोध करता हूँ और न ही समर्थन करता हूँ। काबिज जमीन का पट्टा आज तक नहीं बना जमीन का कोड़ाई कर दिये है। जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। जैसा भी हो सके मुआवजा देने का कष्ट करे।।
467. श्री आशीष कुजूर, सीतापुर प्रतापगढ़— बालको से सहमत हूँ।
468. श्री मोहन राम, ग्राम नर्मदापुर— खदान हटाओ मैनपाट बचाओ।
469. श्री गोदसाय, ग्राम बरिमा— खदान हमको नहीं चाहिए। मेरी तीन एकड़ जमीन है, तीन एकड़ जमीन खुदा गया, मुआवजा नहीं मिला है।
470. श्री नंदलाल, ग्राम नर्मदापुर— हमको खदान नहीं चाहिए।
471. श्री चंद्रप्रकाश सोनवानी, जनपद सदस्य, ग्रामपंचायत नर्मदापुर— लोकसुनवाई में अपील करना चाहता हूँ कि आपने मैनपाट को क्या दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के स्तर पर क्या किये। आप कहते हैं कि 10 लाख पौधे लगा चुके हैं। सर्वेक्षण कर लें, कहां लगाये गये हैं पौधे। यहां कुछ करके दिखायें, हमारी

भी मांग है कि एक अच्छा अस्पताल यहां बनवायें, जिससे अंबिकापुर, सूरजपुर के लोग आकर यहां इलाज करवायें।

472. श्री अटल बिहारी यादव , जनपद उपाध्यक्ष मैनपाट—बालको द्वारा मैनपाट में 30-35 साल से जो दोहन किया जा रहा है। 80 प्रतिशत लोग आपको समर्थन से इंकार कर रहे हैं। यहां बड़ा अस्पताल एवं स्कूल होना चाहिए। मशीनीकरण के माध्यम से खनन कार्य करा रहे हैं और मशीनीकरण से क्षमता बढ़ा रहे हैं। यहां के लोगो को उचित मुआवजा व रोजगार मिले। मैनपाट बचाओं बालको भगाओ। हमारे यहां डायरिया प्रभावित तराई क्षेत्र के जो गांव है उनमें सैकड़ों लोग काल के गाल में चले जाते हैं उस समयकाल में अच्छी पहल करके अपनी पहचान बनानी चाहिए। 30-35 साल पहले जो मैनपाट था, आज वैसा नहीं है उस पर भी आपको पहल करनी चाहिए। मैं समर्थन देता हूं।
473. श्री गणेश सोनी, विधायक प्रतिनिधि— बेरोजगारी एवं पर्यावरण पूरे देश की समस्या है। इस समस्या को आप लोग ही हल कर सकते हैं। वन आच्छादित मैनपाट किया जाये, बालको को रोजगार के नाम से जाना जाये। यहां से कुछ ले रहे तो कुछ देने के लिये तैयार रहिए। बालको ने रोड, बाजार, शेड, प्रतीक्षालय बनावायें। यहां के लोगों का दिल जीतिए। आलू, टाउ आदि का दोहन हो चुका है। योजना बनाईये और काम करिये।
474. श्री सोनू यादव, ग्राम कुदारीडीह— एक महिला मेरे को मार दी है उस पर कार्यवाही करिये।
475. श्री संतोष खलको, ग्राम बरिमा— विरोध है।
476. श्री आकाश कुमार, प्रतापगढ़— हमारे गांव का विकास हो रहा है समर्थन है।
477. श्री नैयर साय, ग्राम नर्मदापुर— बालको हटाओ।
478. श्री जगन्नाथ, प्रतापगढ़— समर्थन है।
479. श्री अनिल, ग्राम बरिमा— विरोध है।
480. श्री बबलू, सीतापुर प्रतापगढ़ — समर्थन है।
481. श्री गुड साय, ग्राम बरिमा— विरोध है ।
482. श्री जगदीश, ग्राम कोट — समर्थन है।
483. श्री जनक, ग्राम बरिमा— खदान नहीं खुलेगा, तो नहीं खुलेगा।
484. श्री रामकेवल सिंह, ग्राम वंदना— बालको का समर्थन करता हूं।
485. श्री बालम राम, ग्राम नर्मदापुर— मैं बालको का विरोध करता हूं।
486. श्री चंद्रबली यादव, ग्राम केसरा— मैं कई घंटों से सुन रहा हूं कि बालको भगाओं मैनपाट बचाओ, इसमें ढोंग है। बालको में परिवर्तन हुआ है, लोगों की नाराजगी को समझना होगा। खदान 30 साल पहले खुला, उस समय सबकी सहमति थी। उस समय ही विरोध करना चाहिए था। अस्पताल, स्कूल, रोड की व्यवस्था होना चाहिए। खदान चालू होना चाहिए।
487. श्री मंगल राम, ग्राम वंदना— बालको का समर्थन है।
488. श्री कार्तिक, ग्राम बरिमा— जमीन कोड़ाई गई है नाम नहीं जुड़ा है, खदान नहीं चाहिए।
489. श्री सरजू यादव, ग्राम सपनादर— समर्थन करता हूं ।

490. श्री कुमार, ग्राम सपनादर— खदान में काम करता हूँ, खदान खुले।
491. श्री संजीत कुमार, ग्राम कुदारीडीह— आदिवासी अपने हक के लिए काम करें, बालको हटायें।
492. श्री सुखराम माझी, ग्राम सपनादर— अस्पताल खोल दें। समर्थन है।
493. श्री देतहू, ग्राम बरिमा— विरोध है।
494. श्री महलो राम, ग्राम सपनादर— जमीन को गड़ड़ा कर दियें हैं, भाठ नहीं रहे हैं।
495. श्री दलवीर, ग्राम बरिमा— बालको को नहीं चाहता हूँ। जबसे बालको आया, हमारा जंगल गया, वातावरण भी चला गया।
496. श्री अदनराम महंत, ग्राम बरिमा— बालको का समर्थन है।
497. श्री जलील राम, ग्राम कुदारीडीह— खदान नहीं चाह रहे हैं।
498. श्री कमलेश कुमार यादव, ग्राम रोपाखार— समर्थन है।
499. श्री कन्हैया लाला यादव, ग्राम सपनादर— समर्थन है।
500. श्री मृगेन्द्र कुमार, ग्राम कुदारीडीह — बालको में 1996 से काम कर रहा हूँ इससे हमें बहुत लाभ मिला है। मैं अपनी बच्ची को पढ़ा रहा हूँ, बालको का पूर्ण समर्थन है।
501. श्री संतोष, ग्राम बरिमा— हमारी धरती जल, जंगल, जमीन पर आधारित है। जमीन जब तक न रहे, आदिवासी का विनाश है। यादव भाईयों को जबसे खदान हुआ है, भैंस के नहलाने के लिये पानी नहीं है। नहाने के लिये बहुत परेशानी है।
502. श्री द्रुपद सिंह, ग्राम कुदारीडीह— समर्थन है।
503. श्री शुकुल राम, ग्राम कुदारीडीह — विरोध है।
504. श्री विनोद कुमार, ग्राम उरंगा— बालको से सहमत है।
505. श्री सत्य नारायण यादव, ग्राम उरंगा— समर्थन है।
506. श्री राजकुमार, ग्राम कुदारीडीह— बालको का फुल सपोर्ट है।
507. श्री लली कुमार, ग्राम बरिमा— बालको हटाओ, ताकि मैं अच्छी तरह से मैनपाट में जी सकूँ।
508. श्री राजेश कुमार, ग्राम बरिमा— बालको हटायें।
509. श्री जेतूराम, ग्राम कुनिया— खदान में आज तक नाम नहीं जुड़ा है। खदान खुलना चाहिए, लेकिन नाम जुड़ना भी चाहिए। नहीं तो खदान हटायें, मैनपाट बचायें।
510. श्री मान सिंह, ग्राम कुदारीडीह — बालको का समर्थन है।
511. श्री बिहानू राम, ग्राम बरिमा— जगह, जमीन चला गया। नाम नहीं जोड़े और नौकरी भी नहीं दिया है। बालको का फुल विरोध करता हूँ। आदिवासी को कुछ नहीं दिया, खदान नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए।
512. श्री मुनेश्वर यादव, ग्राम केसरा— बालको का विरोध करता हूँ। जमीन में आलू लगा रहे थे उस हमारे जमीन को बंजर बना दिये हैं। हमें तिरस्कार करते हैं। हमको बालको नहीं चाहिए।
513. श्री बासूरराम, ग्राम केसरा— बालको खुले ।

514. श्री भुवन साय, ग्राम कुदारीडीह —हमारी जमीन फंस गया है लेकिन आज तक नौकरी नहीं दिया, घर नहीं दिया है। स्कूल भी नहीं दिया है।
515. श्री घनेश्वर राम, ग्राम नर्मदापुर — बालको का समर्थन है।
516. श्री राहुल कुमार, प्रतापगढ़— समर्थन करना चाहता हूं।
517. श्री अजय, ग्राम बरिमा— खदान का विरोध है ।
518. श्री जयपाल, ग्राम कुदारीडीह — बालको का समर्थन है।
519. श्री चंद्रबली राम, ग्राम नर्मदापुर — खदान नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए।
520. श्री सुरेश यादव, ग्राम मैनपाट— बालको का समर्थन है।
521. श्री देव प्रसाद— नर्मदापुर— बालको का समर्थन है। क्रशर का विरोध है।
522. श्री बसंत पैकरा, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन है।
523. श्री अनिल कुमार, ग्राम बरिमा— खदान का विरोध करते हैं।
524. श्री मंगल, ग्राम नर्मदापुर— खदान का विरोध करते हैं।
525. श्री विजय प्रताप, ग्राम कुदारीडीह— समर्थन है।
526. श्री बोधन राम, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए।
527. श्री श्याम साय, ग्राम कुदारीडीह— बालको में लगा हूं समर्थन करता हूं।
528. श्री रीजन, ग्राम सपनादर— जिनका नाम छूटा है जोड़ा जाये। नाम नहीं जोड़ेंगे तो सपनादर गांव वाले विरोध करेंगे।
529. श्री सीताराम, ग्राम कुदारीडीह— विरोध है।
530. श्री नान, ग्राम कुदारीडीह — बालको से जुड़ा हूं, बालको का समर्थन है।
531. श्री बाल भगवान, ग्राम कुदारीडीह — खदान नहीं चाहिए।
532. श्रीमती सरिता, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए।
533. श्रीमती विदेश्वरी, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए।
534. श्रीमती सुखरी, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए।
535. श्री देवनीश माझी, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए, जमीन चाहिए।
536. श्री भूरा, ग्राम प्रतापगढ़— बालको का समर्थन है।
537. श्री तिलक राम, ग्राम बरिमा— मेरा जमीन खदान साईट में है उसका पट्टा नहीं है। विरोध करता हूं।
538. श्री शंभू राम, ग्राम रोपाखार— बालको का समर्थन है।
539. श्री आशीष कुमार सोनी, ग्राम कोट वंदना— बालको का समर्थन करता हूं।
540. श्री राजकुमार, प्रतापगढ़— बालको का समर्थन करता हूं।
541. श्री जीवन माझी, ग्राम बरिमा— धरती माता का दुश्मन नहीं बनना चाहता, खदान नहीं खुलना चाहिए।
542. श्री भूलन, ग्राम कुदारीडीह— खदान खुलना चाहिए।
543. श्री रूपन, ग्राम प्रतापगढ़— समर्थन है।
544. श्री सुखदेव, ग्राम बरिमा— खदान का विरोध करता हूं।
545. श्री परमेश्वर, ग्राम बरिमा— बालको का विरोध करता हूं।
546. श्री हीरा लाल, ग्राम कोट वंदना — खदान चलता था तो पाकिट में रुपया रहता था। खदान चाहिए।
547. श्री राजनाथ नाग, ग्राम बरिमा— बालको का विरोध करता हूं।

548. श्री फुलेश्वर, ग्राम बरिमा— खदान का विरोध है।
549. श्री राजेन्द्र कुमार, ग्राम बरिमा— खदान का विरोध है।
550. श्री आशीष नाग, ग्राम बरिमा— खदान का विरोध है।
551. श्री सरसा राम, उप संरपंच ग्राम बरिमा— बाक्सार्ट मशीन से तोडा जा रहा है, उसे रोक कर आदमी से काम कराया जाये, मेरी यही प्रार्थना है।
552. श्री रोहित कुमार, ग्राम बरिमा— मैं बालको का तहे दिल से समर्थन करता हूं वह जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे।
553. श्री अनिल, ग्राम बरिमा— बचपन में तो पिये थे मां का दूध लेकिन जवान होने के बाद धरती मां का पेट चीर रहे हैं, ये दलाल लोग नहीं समझ रहे हैं।
554. श्रीराम, ग्राम बरिमा — खदान नहीं खुलना चाहिए।
555. श्री परमानंद यादव, ग्राम केसरा— बालको कंपनी का सपोर्ट करता हूं।
556. श्री लवकुश यादव, ग्राम केसरा— बालको का समर्थन करता हूं।
557. श्री अनिल कुमार यादव, ग्राम केसरा— बालको का समर्थन करता हूं। स्कूल, बिजली, पानी की व्यवस्था हो।
558. श्री गणेश यादव, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन करता हूं।
559. श्री अभय गींचा, ग्राम बरिमा— खदान नहीं आना चाहिए।
560. श्री देवेन्द्र, ग्राम केसरा— बालको का समर्थन कर रहा हूं।
561. श्री कन्हैया यादव, ग्राम बरिमा— बालको हमें चाहिए।
562. श्री श्यामलाल, ग्राम केसरा— समर्थन है।
563. श्री प्रेमलाल, ग्राम बरिमा — बालको नहीं चाहिए।
564. श्री बीज राज यादव, ग्राम केसरा— बालको को सपोर्ट कर रहे हैं।
565. श्री विजय कुमार यादव, ग्राम सपनादर— बालको को समर्थन है।
566. श्री ठाकुर प्रसाद, प्रतापगढ़— बालको को समर्थन है।
567. श्री बंशू, ग्राम वंदना— विरोध है।
568. श्री ललन साय, प्रतापगढ़ — समर्थन है।
569. श्री राजू यादव, ग्राम सपनादर— खदान का समर्थन है।
570. श्री बलेश्वर, ग्राम सपनादर— समर्थन है।
571. श्री मनीष कुमार यादव, ग्राम केसरा— खदान का समर्थन है।
572. श्री विमल, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
573. श्री नैयर माझी, ग्राम केसरा— बालको को समर्थन है।
574. श्री राम यादव, ग्राम सपनादर— समर्थन है।
575. श्री हीरालाल, ग्राम केसरा — खदान बंद हो।
576. श्री लक्ष्मण यादव, ग्राम केसरा— समर्थन है।
577. श्री मो. कसीमउद्दीन, ग्राम नर्मदापुर — बालको का समर्थन करते हैं।
578. श्रीराम यादव, ग्राम केसरा— नदियां भट जा रही हैं।
579. श्री नंदलाल, प्रतापगढ़— बालको का समर्थन करना चाहता हूं।
580. श्री संजय, प्रतापगढ़— बालको का समर्थन करना चाहता हूं।
581. श्री नरेन्द्र, प्रतापगढ़— बालको का समर्थन करना चाहता हूं।
582. श्रीमती छमनिया, ग्राम कुदारीडीह — खदान खुलना चाहिए।

583. श्रीमती अंतरिसा, ग्राम कुदारीडीह – खदान खुलना चाहिए।
584. श्रीमती सोनी, ग्राम कुदारीडीह – खदान खुलना चाहिए।
585. श्रीमती सुरजी बाई, ग्राम कुदारीडीह – खदान खुलना चाहिए।
586. श्रीमती पार्वती, ग्राम कुदारीडीह – खदान खुलना चाहिए।
587. श्रीमती रिता, ग्राम कुदारीडीह – खदान खुलना चाहिए।
588. श्रीमती पुष्पा, ग्राम कुदारीडीह – खदान खुलना चाहिए।
589. श्रीमती सबीना, ग्राम कुदारीडीह – खदान खुलना चाहिए।
590. श्रीमती रंभा, ग्राम कुदारीडीह – खदान खुलना चाहिए।
591. श्रीमती सोमारी, ग्राम कुदारीडीह – खदान खुलना चाहिए।
592. श्रीमती किनरती, ग्राम कुदारीडीह – खदान खुलना चाहिए।
593. श्रीमती सरोज, ग्राम कुदारीडीह – खदान खुलना चाहिए।
594. श्री बगीन्द्रास, ग्राम कोट – खदान खुलना चाहिए।
595. श्री फुलेश्वर, ग्राम सपनादर— स्थाई नौकरी दिया जाये। बालको का समर्थन करता हूं।
596. श्री प्रवेश कुमार यादव, ग्राम नर्मदापुर –खदान खुलना चाहिए, यह रोजगार का एक आधार है। हम सभी खदान का समर्थन करते हैं। हमारी जो मांग है, उसको बालको द्वारा पूरा किया जाये, समर्थन है।
597. श्री शुभम गुप्ता, प्रतापगढ़— खदान खुलना चाहिए।
598. श्री रामधारी यादव, ग्राम सपनादर— खदान का समर्थन करता हूं।
599. श्री कुलेश्वर यादव, ग्राम सपनादर— बालको का विरोध नहीं कर रहा हूं, हमें स्थाई पट्टा दिया जाय, व अपना कार्य करके जमीन वापस किया जाये। मैं समर्थन करता हूं।
600. श्री कृष्णा यादव, ग्राम केसरा— बालको का समर्थन करता हूं। स्थाई रूप से नौकरी दे, समर्थन है।
601. श्री देवसाय सरपंच, ग्राम पंचायत बरिमा— खदान का फुल विरोध करता हूं।
602. श्रीनाथ, ग्राम केसरा— बालको आई उस समय से मोटर सायकल घर घर हो गया।
603. श्री कमलनाथ, ग्राम बरिमा— बालको कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, ये तो बता दें कि विकास कहाँ हो रहा है? जंगल जमीन को छीनने में लगे हुए हैं। हाथियों का नामो निशान मिट जायेगा। माझी समाज को बरगलाया जाता है। हम अपना संगठन बनाये, गांव की अनुमति के बिना खदान नहीं चल सकता है।
604. श्री हरिप्रसाद, ग्राम सपनादर — बालको चले लेकिन हम लोगों को स्थाई नौकरी दिया जाये, हम लोगों के सामने बालको है। सब मिल जुलकर चल रहे हैं।
605. श्री चंद्रसाय, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन कर रहे हैं।
606. श्री रितिक यादव, ग्राम केसरा—मैं बालको का अपनी तरफ से फुल कोशिश करता हूं, स्कूल रहना चाहिए।
607. श्री बिपिन, ग्राम बरिमा प्रधानपारा— खदान का विरोध है।

608. श्री गंगाराम, ग्राम बरिमा— बालको का विरोध है।
609. श्री कापू, पहाडी कोरवा, थाना रायगढ़— समर्थन है।
610. श्री मोतीलाल केरकेट्टा, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन है।
611. श्री रोहित चौबे, ग्राम बंदना— बालको का समर्थन है।
612. श्री धरम प्रकाश नाग, ग्राम बरिमा— खदान का विरोध करता हूं। बालको हटाओ मैनपाट बचाओ।
613. श्री सूरज यादव, ग्राम सपनादर— आदिवासियों के पट्टे की जमीन ली गई है, उसमे से कुछ ऐसे परिवार है, जिनका नाम छूट गया है, उनका नाम जोड़ने की कृपा करें। 41 आदमियों को कुछ दूसरे पोजीशन में रखे हैं तथा 175 आदमियों को कुछ दूसरे पोजीशन में रखे हैं। मैं आपका तहे दिल से समर्थन करता हूं। सबको समान रखें एवं आदिवासियों का विकास करें।
614. श्री रामदुलारे यादव, ग्राम सपनादर— जिन किसानों की जमीन लीज क्षेत्र मे है उसे स्थाई नौकरी दिया जाय। जमीन को समतलीकरण करके किसानो को वापस करें। मेरा समर्थन है।
615. श्री श्रवण यादव, ग्राम सपनादर— बालको का सपोर्ट करता हूं। लोगों को रोजगार मिले, मैं बालको का समर्थन करता हूं।
616. श्री सत्य नारायण गुप्ता, ग्राम सपनादर— बालको चले लेकिन प्यार से चले।
617. श्री राम विलास यादव, ग्राम केसरा— काम मिले।
618. श्री दूहन राम, ग्राम पथरई— रोजगार गारंटी में नाम होना चाहिए।
619. श्री हीरालाल, ग्राम पथरई— कदम रखने का जगह नहीं होगा इसलिए हम खदान नहीं चाहते है।
620. श्री हीरमुनी, ग्राम नर्मदापुर— मेरे को जमीन चाहिए।
621. श्री बंधन, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए, जमीन चाहिए।
622. श्री पारसनाथ दुबे, ग्राम केसरा— बालको का समर्थन है।
623. श्री दामेश्वर चौधरी, मैनपाट— बालको का सपोर्ट कर रहा हूं। समर्थन है।
624. श्री संतराम ग्राम पथरई— खदान नहीं चाहिए, मैनपाट चाहिए।
625. श्री प्रिंस यादव, मैनपाट— मुझे क्रिकेट किट चाहिए, बालको का समर्थन है।
626. श्री बंधन नाग, ग्राम केसरा— खदान में आदिवासी समाज के लोग काम करने जाते थे उनको काम नहीं दिया जाता था, इसलिए सब विरोध में है।
627. श्री रामनाथ कुर्रे, ग्राम केसरा— मैंने पहले बालको मे सप्लाई का काम 7 साल किया, किसी कारण काम पर नहीं गया तो मेरे को निकाल दिया गया है। बालको का समर्थन करता हूं।
628. श्री रमाशंकर यादव, ग्राम कुदारीडीह— बालको को चाहता हूं।
629. श्री कृष्णा यादव, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन है।
630. श्री राजेन्द्र दुबे ग्राम केसरा— बालको का समर्थन है।
631. श्री धनेश्वर राम पैकरा, ग्राम वंदना— बालको का समर्थन है।
632. श्री नांधीराम, ग्राम बरिमा— हमको खदान नहीं चाहिए, 1 से 2 एकड़ जमीन है बाल बच्चे कहां जायेंगे। बाहर के लोग खदान चाहते हैं हम लोग नहीं चाहते है।

633. श्री राम प्रकाश, ग्राम वंदना— मैं बालको का तहे दिल से समर्थन करता हूँ।
634. श्री बाबूलाल सोनवानी, ग्राम वंदना— मैं बालको का समर्थन करता हूँ।
635. श्री पवन कुमार नाग, ग्राम बरिमा— हम लोगों का खदान के वजह से पांच छः हैण्ड पंप खुला है लेकिन पीने लायक पानी नहीं है। खदान नहीं खुलना चाहिए। क्योंकि खदान के चलते पानी का जल स्रोत खत्म होते जा रहा है। साफ पानी नहीं निकल रहा है। विरोध करता हूँ।
636. श्री भोला यादव, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन चाहता हूँ।
637. श्री उमाशंकर यादव, ग्राम सपनादर— मैं बालको का समर्थन चाहता हूँ।
638. श्री सुकम, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहता हूँ।
639. श्री बिसानू, ग्राम लुरेना— भगवान एक ही हैं लेकिन उनको मानने का तरीका अलग अलग है। खदान नहीं चाहिए।
640. श्री राम प्रकाश, ग्राम बरिमा— मैनापाट से नीचे वाले बोलते हैं कि खदान खुलना चाहिए। पहले के हमारे बुजुर्ग समझदार नहीं थे, इसके कारण वे लोग खदान खुलवाये, अब लोग समझदार हैं इसलिए खदान बंद कराना चाहते हैं।
641. श्री मुकेश कुमार, ग्राम सपनादर — बालको का सपोर्ट करता हूँ।
642. श्री अजीत, ग्राम सपनादर— खदान का समर्थन करता हूँ।
643. श्री लल्लू, ग्राम केसरा — खदान का विरोध है।
644. श्री विनोद, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
645. श्री धरमपाल, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
646. श्री एहसान खान, ग्राम रोपाखार — प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से सभी को लाभ है खदान से। खदान खुलना चाहिए। समर्थन करता हूँ।
647. श्री हरीराम, ग्राम मालतीपुर (कलजीवा) — नाम जोड़ना चाहिए, खदान खुलना चाहिए।
648. श्री गंगा राम यादव, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन करता हूँ।
649. श्री समरू, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन है।
650. श्री परमानन्द, ग्राम केसरा— जिसकी जमीन बालको में गई है उनको रेग्युलर नौकरी मिलनी चाहिए, पेयजल, लाईट एवं स्कूल की व्यवस्था करना चाहिए।
651. श्री बीरबल, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन करता हूँ।
652. श्री दिनेश यादव, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन करता हूँ।
653. श्री शंकर यादव, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन करता हूँ।
654. श्री रामेश्वर पैकरा, ग्राम कुदारीडीह— खदान खुलना चाहिए।
655. श्री उदितनारायण यादव, ग्राम केसरा— बालको का सपोर्ट करता हूँ।
656. श्री गंगा यादव, ग्राम रोपाखार— प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ज्यादा पैसा आयेगा और उस पैसे से क्षेत्र का विकास होगा।
657. श्री अमरेश यादव, ग्राम सपनादर — बालको का फुल सपोर्ट करता हूँ।
658. श्री अंचल कुमार, ग्राम रोपाखार— मैं बालको का समर्थन करता हूँ।
659. श्री उमेश मिश्रा, ग्राम रोपाखार— बालको का समर्थन करता हूँ।
660. श्री यादव, ग्राम रोपाखार— बालको का समर्थन करता हूँ।
661. श्री जमुना यादव, ग्राम रोपाखार— बालको का समर्थन करता हूँ।

662. श्री मंतू, ग्राम वंदना— समर्थन करता हूं।
663. श्री बेदिक यादव, ग्राम सपनादर— बालको का समर्थन करता हूं।
664. श्री रजनीश पाण्डे, उप सरपंच ग्रामपंचायत रोपाखार— आप क्षमता का विस्तार करें। ग्रामपंचायत सपनादर, कुदारीडीह एवं केसरा में बाक्सार्ट का उत्खनन करें, लेकिन उस क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। आपको 2044 तक माईनिंग करने के लिए परमिशन मिला हुआ है, तो आप जल्दी ही खुदाई करना चाहेंगे। खुदाई के बाद आप लोगों को जमीन कैसे वापस करेंगे? आपको खेतिहर जमीन बनाकर जमीन वापस करना चाहिए। क्षमता का विस्तार करें, जिसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन गांव की अनदेखी न करें। आप तीनों गांवों को गोद लेकर प्रोजेक्ट तैयार कर उनका विकास करें। आप उनके विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करें। आप ठेके की जगह उन्हें स्थाई नौकरी दें। भोले-भाले ग्रामीणों का भला करें। आप तेजी से बाक्सार्ट खोदना चाहते हैं तो तेजी से विकास भी करें। स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए भी क्या कर रहें, इसकी निगरानी की जावे।
665. श्री भरत राम, ग्राम जोड़ापारा — खदान खुलना चाहिए, खदान खुलेगा तभी काम मिलेगा।
666. श्री निगम कुमार, ग्राम रोपाखार— मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बालको मैनपाट की प्रोडक्शन कॅपसिटी बढ़ाने का कष्ट करे। समर्थन है।
667. श्री जगन्नाथ, ग्राम रोपाखार— मैं बालको का समर्थन करता हूं।
668. श्री मुनेश्वर पैकरा, बी.डी.सी., ग्राम कुदारीडीह— बालको का फुल सपोर्ट करता हूं। पेड़ पौधा वृक्ष लता हरियाली जंगल और पहाड़ें प्यारे हैं, मैनपाट में बालको के आने से मैनपाटवासी सभी न्यारे-न्यारे हैं।
669. श्री वृंदा कुमार पैकरा, ग्राम कुदारीडीह— बालको द्वारा काम दिया गया है बालको हमें चाहिए।
670. श्री भानु प्रकाश यादव, ग्राम रोपाखार— बालको में काम कर रहा हूं, बालको ने हमें काम दिया है। बालको का समर्थन है।
671. श्री जोगीदास, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन करता हूं।
672. श्री रतन, ग्राम कुदारीडीह— बालको का समर्थन करता हूं।
673. श्री सलीम, ग्राम कमलेश्वरपुर— बालको का समर्थन करता हूं।
674. श्री मदनलाल उपाध्याय, ग्राम पथरई —मैं बालको से जुड़ा हूं, बालको को समर्थन करता हूं।
675. श्री अनंत कुमार सिंह, ग्राम नवानगर— बालको खुलना चाहिए, हम लोगों का गाड़ी खड़ा है तीन साल से।
676. श्री रविन्द्र दुबे, ग्राम नवानगर— बालको का समर्थन है।
677. श्री प्रीतपाल सिंह, अंबिकापुर— बालको चलना चाहिए, बालको को समर्थन है।
678. श्री रविन्द्र सिंह, मैनपाट— बालको को समर्थन है।
679. श्री स्वर्ण कुमार, अंबिकापुर— बालको चलना चाहिए, बालको को समर्थन है।
680. श्री शंकर रामदेव, बालको कंपनी— आज मैनपाट में आकर अच्छा काम कर रहें हैं, जिसमें हर किसी को काम मिलेगा, समर्थन है।

681. श्री गुरशरण सिंह, अंबिकापुर— बालको का समर्थन है।
682. श्री त्रिवेणी यादव, ग्राम सपनादर— हमारी जमीन में खदान खुला है, उसे प्लेन कर फलदार पौधे लगायें, बालको का समर्थन करता हूँ। स्थाई नौकरी दी जाये।
683. श्री नरेन्द्र नामदेव, अंबिकापुर— सबको रोजगार मिलेगा, मैं बालको का समर्थन करता हूँ।
684. श्री सुमित एक्का, अंबिकापुर— बालको का समर्थन करता हूँ।
685. श्री आर्यन सिंह, अंबिकापुर— बालको का समर्थन करता हूँ।
686. श्री मंजीत नामदेव, अंबिकापुर— बालको का समर्थन करता हूँ।
687. श्री मनहर, अंबिकापुर— बालको का समर्थन करता हूँ।
688. श्री विकास नामदेव, अंबिकापुर— बालको का समर्थन करता हूँ।
689. श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, अंबिकापुर— बालको का समर्थन करता हूँ।
690. श्री दिलीप सिंह, अंबिकापुर— बालको का समर्थन करता हूँ।
691. श्री तिर्कीस, अंबिकापुर— समर्थन करता हूँ।
692. श्री उपेन्द्र सिंह, ग्राम रोपाखार— बालको का समर्थन करता हूँ।
693. श्री दिलीप कुमार पाण्डे, ग्राम रोपाखार— बालको का समर्थन करता हूँ।
694. श्री ललित यादव, ग्राम केसरा— बालको का समर्थन है।
695. श्री कमलेश, ग्राम रोपाखार — बालको का समर्थन है।
696. श्री तरुण तामरेकर, ग्राम रोपाखार — बालको का समर्थन है।
697. श्री मुन्ना दास, ग्राम रोपाखार — बालको का समर्थन है।
698. श्री पवन महंत, ग्राम बरिमा— खदान खुलना चाहिए, समर्थन है।
699. श्री रामू, ग्राम बरिमा—मुआवजा नहीं मिला है। बालको भगाओ।
700. श्री पंखराज नाग, ग्राम बरिमा— खदान खोलने के विरोध में है, क्योंकि खेत जोतने के लिये ट्रैक्टर लिया हूँ, खेत चाहिए।
701. श्री लखनलाल यादव, ग्राम बरिमा— मैं बालको का सपोर्ट करता हूँ।
702. श्री प्रकाश मिश्रा, अंबिकापुर — बालको का सपोर्ट करता हूँ।
703. श्री मनोज भारती, समाज सेवक— बालको रहेगा तो लड़ सकते हो, मांग सकते हो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बालको नहीं था तो क्या आपको रोजगार मिल रहा था। कंपनी की अपनी जिम्मेदारी है। पूरी तरह से बालको का समर्थन करता हूँ।
704. श्री अजीत, ग्राम बरिमा — खदान नहीं चाहता हूँ। गांव में धूल उड़ रहा है। पानी सींचने के लिए बोला तो पानी नहीं सींचे, विरोध है।
705. श्री गणेश, ग्राम कुदारीडीह— हमारे गांव में रोड नहीं, बोरिंग नहीं है, नाला का पानी पीता हूँ। मेरे को खदान नहीं चाहिए। जगह, जमीन चाहिए।
706. श्री करम साय, ग्राम केसरा — तीन माह तक काम किया पैसा नहीं मिला, खदान नहीं चाहिए।
707. श्री अजय, मैनपाट — खदान नहीं चाहिए।
708. श्री सखा, ग्राम केसरा— मेरा जमीन फंसा है, मेरे को बोला कि तुमको नौकरी देंगे, मेरे को नौकरी नहीं मिला और जमीन इधर का उधर हो गया।

709. श्री भोक साय, ग्राम केसरा— खदान नहीं चाहिए।
710. श्री जीवन यादव, ग्राम केसरा— मेरी निजी जमीन बालको में फंसी है मेरे को नौकरी चाहिए, तो चाहिए।
711. श्री अंकित सिंह परिहार, ग्राम रोपाखार — बालको हमारे देश की शान है, मैं इसके फुल सपोर्ट में हूँ।
712. श्री सिबू खान, अंबिकापुर—बालको का फुल सपोर्ट करता हूँ।
713. श्री सुनील, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए।
714. श्री बचन, ग्राम बरिमा — खदान नहीं चाहिए।
715. श्री गुलाबी, ग्राम बरिमा — खदान नहीं चाहिए।
716. श्री रत्नेश, ग्राम बरिमा — खदान नहीं चाहिए।
717. श्री मनीष कुमार, ग्राम रोपाखार— बालको को समर्थन है।
718. श्री लगन साय, ग्राम बरिमा — खदान नहीं चाहिए।
719. श्री किशोर कुमार, ग्राम बरिमा — खदान नहीं चाहिए।
720. श्री रामदेव, ग्राम बरिमा — खदान नहीं चाहिए।
721. श्री पंचम, ग्राम पथरई — खदान नहीं चाहिए।
722. श्रीनाथ सिंह, ग्राम बनया— बालको का सपोर्ट करता हूँ। बेरोजगारों को रोजगार मिले ।
723. श्री काजोल मिश्रा, ग्राम बरिमा— सबको रोजी रोटी मिलना चाहिए, बालको का समर्थन है।
724. श्री रामानुज यादव, ग्राम पथरई— खदान का विरोध है।
725. श्री गोविंद यादव, ग्राम केसरा— खदान खुले पर नियम से। खदान खोल कर यहां बराबर से रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ग्राम केसरा, कुदारीडीह, सपनादर में अलग रवैया अपनाया जा रहा है। जल, वायु प्रभावित होगा प्रदूषण से नुकसान होगा, जिनकी शासकीय जमीन है उनको भी नौकरी मिलना चाहिए। बालको की बहुत सारी कमी है पर समय नहीं है।
726. श्रीमती सावित्री, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए।
727. श्रीमती आशारानी, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए।
728. श्री राजकुमार यादव, ग्राम बरिमा— खदान नहीं चाहिए।
729. श्री बिराजू, ग्राम कुदारीडीह— प्रतापगढ़, वंदना, अंबिकापुर में खदान खुलना चाहिए, मैनपाट बचाना चाहिए।
730. श्री चंद्रेशखर गुप्ता, ग्राम रोपाखार— बालको मैनपाट में अच्छा काम कर रही है, मैं बालको का सपोर्ट करता हूँ।
731. श्री गोपीराम, ग्राम कुदारीडीह— पांच भाई है, एक को भी नौकरी नहीं मिली है।
732. श्री रतन सिंह, ग्राम रोपाखार—बालको का सपोर्ट करता हूँ।
733. श्री कैलाश यादव, ग्राम रोपाखार— विरोध भी नहीं, समर्थन भी नहीं। काम दिया जाये। जमीन गई है, फिर भी नौकरी नहीं दिया सबको काम दिया जाये ।
734. श्री रामलाल यादव, ग्राम पथरई — काम नहीं मिलता है।
735. श्री संदीप कुमार साहू, अंबिकापुर— बालको का समर्थन करता हूँ।
736. श्री अजय कुमार, अंबिकापुर— बालको का समर्थन करता हूँ।

737. श्री प्रदुमन यादव, ग्राम केसरा— मेरा 4 एकड़ जमीन है, ठेकेदारी के माध्यम से काम दिये हैं, भाईयों को काम नहीं दिये हैं।
738. श्री रामदेव, ग्राम सरमंजा— काम मिलना चाहिए, खदान खुलना चाहिए।
739. श्री रामकृपाल, ग्राम केसरा— बालको में दलालों के माध्यम से काम दिया जाता है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बालको बंद होना चाहिए।
740. श्री सुनील साहू, अंबिकापुर — बालको का समर्थन करता हूं।
741. श्री आनंद यादव, ग्राम केसरा— बालको द्वारा रोजगार दिया जाये। यहां आदिवासी है। यहां का सचिव बालको से जुड़ा हुआ है। प्रस्ताव का विरोध करते हैं, दलाली करके जमीन ले लिया, बालको खदान बंद करे। बालको नहीं खुलना चाहिए।
742. श्री राजन यादव, ग्राम केसरा— बालको खदान का समर्थन है। क्रशर का समर्थन नहीं है।
743. श्री अनुपम तिवारी, ग्राम कुदारीडीह — बालको का पूर्ण रूप से विरोध है।
744. श्री कमलेश यादव, ग्राम कुदारीडीह— बालको निरंतर चलती रहे लोगों को रोजगार देना चाहिए मैं बालको का समर्थन करता हूं।
745. श्री सोहन यादव, पूर्व सरपंच, ग्राम केसरा— हमारे जनजाति और माझी जाति के लोग भोले भाले हैं, यहां बाहर के लोग आकर इनको गुमराह कर रहे हैं। बालको का समर्थन भी नहीं करता हूं। खदान के वजह से यहां का पानी बहुत नीचे चला गया है। हमारे जाति के लोग बोल नहीं पाते हैं। मैं यही समझता हूं कि यहां चार महीना हो गया, नाम नहीं जुड़ रहा है। बालको ने प्रस्ताव लिया था लेकिन यह नहीं बताया था, कि यहां कशर लगायेंगे।
746. श्री हरेन्द्र माझी, सीतापुर— बालको का समर्थन करता हूं।
747. श्री सुयश पटेल, अंबिकापुर — बालको का समर्थन करता हूं।
748. श्री प्रवीण पाटले, अंबिकापुर—बालको का समर्थन करता हूं।
749. श्री उमेश यादव— बालको का सपोर्ट करता हूं।
750. श्री राज किशोर यादव, उप सरपंच, ग्राम केसरा—काम को देख कर लोग सपोर्ट कर रहे हैं। प्रस्ताव अभी नहीं दिया गया है। पहले दिया गया था, बालको का तहे दिल से सपोर्ट करता हूं।
751. श्री रविशंकर, ग्राम केसरा— 15-20 साल तक माईन में काम किया, सब लोग चाहते हैं कि माईन में काम मिले, जहां भी बालको खदान चलाई है, वहां दुबारा खदान नहीं खुली, यहीं यह मौका है जब दुबारा खुली है। कुदारीडीह, केसरा को आप दुल्हन की तरह बना दें। खदान चले, सबको काम मिले।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब लगभग सायं 7:10 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री अफरोज अली, ए.व्ही.पी. बालको द्वारा उद्योग के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग सायं 7:20 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसुनवाई समापन की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में कुल 458 सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। लोक सुनवाई के दौरान 751 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/ टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 1500 व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल 195 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई।


अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)